षोडश माला, खंड 21, अंक 14 **सोमवार, 5 दिसम्बर, 2016**

14 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह

महा सचिव

लोक सभा

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

शिवाजी श्रीवास्तव

संयुक्त निदेशक

संजीव

उप निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 14, सोमवार, 5 दिसम्बर, 2016 / 14 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	15-31
[1] तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280	32
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	32

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा बधाई

एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई 33

सभा पटल पर रखे गए पत्र 35-45

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

25वां प्रतिवेदन 46

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 47-48

(1)(क) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं.11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 47

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में रबड़ उद्योग' के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 124वेंरिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 47

श्रीमती निर्मला सीतारमण

(2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. महेश शर्मा 48

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद 49-50

सदस्यों द्वारा निवेदन

500 और 1000 करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में 51-64

नियम 377 के अधीन मामले 81-105

(एक) देश में वेक्टर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छर खाने वाली मछलियों और मेंढकों की फार्मिंग किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 82

(दो) राजस्थान के करोली में मदनमोहन मंदिर को कृष्ण सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया 83

(तीन) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के बखरी गांव में चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 84

(चार) देश में अंगदान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मीनाक्षी लेखी 85

(पाँच) महाराष्ट्र के पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी 86

(छह)	झारखंड के पैरा शिक्षकों की सेवा को नियमित किए जाने तथा राज्य में बी.आर.पी. और सी.आर.पी. शिक्षकों सहित उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील कुमार सिंह	87-88
(सात)	जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों का मॉडल रेलवे स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए. टी. नाना पाटील	89
(आठ)	छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की कोटा तहसील में शिवतराई गांव में प्रशिक्षु तीरंदाजों को आवश्यक तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री लखन लाल साहू	90
(नौ)	बिहार के बक्सर में 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद शोध एवं अध्ययन केन्द्र' खोले जाने तथा राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री अश्विनी कुमार चौबे	91

(दस) देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना 92-93

(ग्यारह) मात्स्यिकी तथा मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय निषाद 94

(बारह) केरल के बलरामपुरम के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर 95

(तेरह) प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन 96

(चौदह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खानाकुल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 97

(पंद्रह) देश में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के बारे में

श्री दिनेश त्रिवेदी 98

(सोलह) जैसा कि केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू है उसी प्रकार राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अवक्रमित भूमि के दोगुने भाग पर वनीकरण किए जाने के बदले वन्य भूमि का अन्यत्र प्रयोग करने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान 99

(सत्रह) मुम्बई के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कारण प्रभावित नावा और शेवा ग्रामों के किसानों को पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 100

(अठारह) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी 101-102

(उन्नीस) लक्षद्वीप में प्रस्तावित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में

मोहम्मद फैज़ल 103

(बीस) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दक्षिण बिहार की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के चार वर्षीय एकीकृत बी.ए., बी.एड./ बी.एस.सी., बी.एड. कार्यक्रम को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश रंजन 104-105

नियम-193 के अधीन चर्चा

काले धन को समाप्त करने के लिए करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 107-108

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 5 दिसंबर, 2016 / 14 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न .261

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, एडजोर्नमेंट मोशन के तहत डिमोनेटाइजेशन पर चर्चा करने के लिए हमने नोटिस दिया है। इसके अलावा आपके कहने पर इसमें बदलाव करके रूल-184 के तहत चर्चा करने का आपको हमने नोटिस दिया है। जब हम रूल-56 के तहत चर्चा की मांग छोड़ कर रूल-184 के तहत चर्चा करने के लिए मान गए हैं, तो सरकार को भी नियम 193 के तहत चर्चा की बात को छोड़ कर रूल-184 के तहत चर्चा की मांग को मान लेना चाहिए, क्योंकि देश हित में हम इस बात को मान रहे हैं।

महोदया, मैं आपसे विनती करता हूं कि यह चर्चा रूल-184 के अंतर्गत शुरू कीजिए। हमारी पन्द्रह दिनों से कोशिश चल रही है कि किसी न किसी ढंग से चर्चा शुरू हो जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, आज की कार्यसूची में हमने देखा है कि विमुद्रीकरण का विषय नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर आपसे तथा सरकार से नियम 56 के अंतर्गत इस चर्चा को आरंभ करने की पुरजोर अपील की। आज, कांग्रेस पार्टी ने नियम 184 के अधीन चर्चा के लिए नोटिस दिया है। मेरा निवेदन है कि यदि नियम 56 के तहत चर्चा नहीं हो सकती है, जिसके लिए मैंने नोटिस दिया है, यदि आप नियम 184 के अधीन चर्चा को स्वीकार करती हैं,तो मैं अपना नोटिस वापस लेने के लिए तैयार हूं। यह चर्चा होने दीजिए। कृपया नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए दबाव न बनाएं। सदन में सरकार के पास भारी बहुमत है। मुझे नहीं पता कि वे चर्चा और मतदान से क्यों बच रहे हैं। इसमें

गलत क्या है? इसे कभी भी ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है।

मेरी पुरजोर अपील है कि आपकी तथा सरकार की सहमति एवं समर्थन से मतदान करके इस सदन को उचित रूप से सम्मानित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: जय प्रकाश जी और करुणाकरण जी, आप दोनों एक ही बात कहना चाहते हैं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): हम नियम 56 के बजाय नियम 184 के अधीन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए, सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, खड़गे जी बहस चाहते हैं, सुदीप जी भी बहस चाहते हैं, करुणाकरण जी भी बहस चाहते हैं और इस तरफ की भी सभी पार्टियां पहले दिन से आर्थिक सुधार के विषय पर बहस चाहती हैं। विपक्ष ने पहले एडजर्नमेंट मोशन देकर रूल-56 के तहत चर्चा की मांग की थी और अब रूल-184 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत-सी पार्टियों ने नियम-193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है।

मेरा इतना ही निवेदन है कि इस बात को प्रेस्टीज इश्यु न बनाया जाए और मत विभाजन न हो तथा एक सुर से संसद से काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई जाए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : महोदया, हम भी काले धन के खिलाफ हैं, लेकिन सरकार मतदान से क्यों भाग रही है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** काले धन के विषय पर चर्चा में मतदान की क्या बात है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप हल्ला मत कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार : महोदया, भृर्तहरि महताब जी और जितेन्द्र रेड्डी जी यानी टी.आर.एस. और बी.जे.डी. ने रूल-193 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है, यानी ब्लैक मनी विड-आउट करने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन का निर्णय किया है, उसके ऊपर नियम-193 के अंतर्गत चर्चा शुरू की जाए। यदि आप चाहेंगे और अनुमति देंगे तो, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि प्रश्न काल को भी स्थगित करके रूल 193 के तहत या बिना किसी रूल के भी अभी से आप चर्चा शुरू करें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइए। बार-बार एक ही बात नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, हम बार-बार नहीं बोल रहे हैं। यह 15 दिन से चल रहा है।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदया, हम लोग बहस से नहीं भाग रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आप सभी लोगों को कहा था। इतनी सारी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने रूल 193 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया है, वे सत्तारूढ़ पार्टियां नहीं हैं। वे पार्टियां, जो मेरे पास रूल 193 के तहत चर्चा का प्रपोजल लेकर आयी थीं, वे भी बोल रहे हैं कि क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? उनकी भी अपनी राय हैं। मैंने कहा है, रहने दीजिए। मैं आज तैयार हूं और उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं तैयार हूं। मैं आज भी सब कुछ छोड़कर यदि आप बिना किसी नियम के अभी चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : बिना किसी नियम के भी आप तुरन्त चर्चा शुरू कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं अभी भी बिना किसी नियम के तैयार हूं। आप किसी नियम की मांग क्यों कर रहे हैं? आप

लोग तुरन्त चर्चा शुरू करें।

[अनुवाद]

... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

(इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री एंटो एंटोनी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

पूर्वाह्न 11.06 ½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न सं. 261, श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी।

... (*व्यवधान*)

(प्रश्न. 261)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।... (*व्यवधान*)

सरकारी क्षेत्र के तेल के उपक्रम स्वयं अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हैं और कई खंड समानांतर मार्गों में हैं जिनसे एक रणनीतिक योजना की मदद से बचा जा सकता है और इस तरह देश बहुत सारे निवेश की बचत कर सकता है। ... (*व्यवधान*) मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि मौजूदा नेटवर्क के इष्टतम उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है जो पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट को रोकने में मदद कर सकता है? ... (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: मैं माननीय सदस्य को उनकी विनम्र टिप्पणियों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।**
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पेट्रोलियम उत्पादों, एल.पी.जी. के लिए बिछाई गई सभी पाइपलाइनें अंतर-संचालित और अंतर-उपयोग योग्य हैं... (*व्यवधान*) वास्तव में, यदि आप विचाराधीन परियोजनाओं का विवरण देखें, तो संयुक्त निवेश मॉडल के तहत 9070 किलोमीटर की पहचान की गई है। उत्पाद विनिमय आधार के तहत 2869 किलोमीटर की पहचान की गई है और ऑन स्टैंड आधार पर केवल 2941 किलोमीटर की पहचान की गई है। इसलिए, अधिकांशतः, सोच यह है कि वे सभी एक-दूसरे का उपयोग कर सकते हैं। ... (*व्यवधान*) और हमने जो विस्तृत नेटवर्क बनाया है, उस में अंतर-कंपनी लाभ है और ऐसा नहीं है कि एक पाइपलाइन का उपयोग केवल एक ही कंपनी कर सकती है। हम अंतर-संचालन की अनुमति देते हैं... (*व्यवधान*)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी: अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में अधिकांश **तेल शोधक कारखाने** भूमि से घिरे क्षेत्रों में हैं जो अधिक मांग वाले क्षेत्रों से काफी दूर हैं, जिसने हमें देश में पाइपलाइनों की भूमिका के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है जो देश के हर कोने में पेट्रोलियम उत्पादों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। (*व्यवधान*) अब तक, तैयार उत्पादों को टैंकरों के माध्यम से सड़क मार्ग से ले जाया जाता रहा है, जिससे उत्पाद में मिलावट की काफी गुंजाइश रहती है। ... (*व्यवधान*)

और इसलिए, अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सरकार ने मिलावट मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा... (*व्यवधान*) कि माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना के मद्देनजर, देश में एल.पी.जी. की मांग बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है और इसे केवल पाइपलाइन के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है... (*व्यवधान*) इस मांग को पूरा करने के लिए रैपिड पाइपलाइन बिछाने का काम आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तेल पाइपलाइन नेटवर्क को बिछाने और उसकी देखरेख करने के लिए निजी सरकारी कंपनियों या एफ.डी.आई. को अनुमति दे रही है। (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य के दिए हुए सुझाव से बहुत प्रसन्न हूं।

मैं इस विचार का पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि पाइपलाइन पेट्रोलियम और तेल उत्पादों के परिवहन का सबसे प्रभावी तरीका है। ... (*व्यवधान*) वास्तव में, यदि कोई दीर्घकालिक सन्दर्शी योजना को देखता है, तो वर्ष 2015-16 में उत्पाद पाइपलाइनों के 35.9 प्रतिशत को संभालने वाली पाइपलाइनों की तुलना में, वर्ष 2029-30 तक, पाइपलाइनों द्वारा इस परिवहन को 62.7 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। ... (*व्यवधान*) यह पाइपलाइनों द्वारा संभाले जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिशत को लगभग दोगुना कर देगी। आपको यह जानकर खुशी होगी कि कुल पेट्रोलियम उत्पादों में केवल 1.4 प्रतिशत सड़क परिवहन का योगदान है और अगले 20 वर्षों में यह घटकर 0.6 प्रतिशत रह जाएगा। ... (*व्यवधान*) इसलिए, हम बहुत सचेत हैं और हम बहुत खुश हैं कि वे वह बात सामने लाए हैं।

जहां तक गैर सरकारी कंपनियों का सवाल है, तो उन्हें भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश करने और एफ.डी.आई. लाने की पूरी आजादी है। ... (*व्यवधान*) किसी भी प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। ... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : अध्यक्ष महोदया, देश भर के विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पाइप लाइन डालने का काम होता है। ...(व्यवधान) मेरे चुनाव क्षेत्र में यह काम सबसे ज्यादा होता है। मंत्री जी उरण में ओ.एन.जी.सी. का सबसे बड़ा प्लान्ट है। मेरा प्रश्न पाइप लाइन डालने से संबंधित है। ...(व्यवधान) वहां जब पाइप लाइन डालने का काम होता है तो किसानों की जमीनें आधिग्रहित की जाती हैं। वहां किसानों को विश्वास में न लेकर, उनकी जमीनों का आधिग्रहण किया जाता है, जिसकी वजह से यह काम रूका हुआ है। भारत सरकार की एच.बी.सी.एल. और रिलायंस कंपनी का काम किसानों ने रुकवाया है। ...(व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किसानो की जमीनों के आधिग्रहण के लिए किसानों के साथ बातचीत की जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर उनकी जमीनें ली जाएं।...(व्यवधान) इससे किसानों की जमीन के आधिग्रहण में किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जमीनों पर कुछ नहीं होता है, न उन पर मकान बना सकते हैं और न कोई दूसरा काम कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि जो पाइप लाइन डालने का भारत सरकार का उपक्रम है, क्या वह ऐसा करने से पहले किसानों को विश्वास में ले सकता है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, भारत सरकार प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति बहुत संवेदना रखती है और किसानों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।...(व्यवधान) जहां तक किसानों की जमीन लेने की बात है, कुछ जमीन पी.एम.पी. एक्ट के तहत ली जाती है और कम्पैनसेशन पी.एम.पी. एक्ट के द्वारा ही दिया जा सकता है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य एप्रिशिएट करेंगे कि सरकारी कंपनियां एक कानूनी दायरे के बाहर नहीं जा सकतीं। अगर वे कानूनी दायरे के बाहर जायेंगी तो कल सवाल उठेंगे कि आपने किसी का कम और किसी का ज्यादा कम्पैनसेशन कैसे तय किया।...(व्यवधान) उसके तहत अगर किसानों की कोई समस्या है तो सरकार उसे उनके साथ तुरंत बातचीत करके सुलझाने के लिए तैयार है।

(प्रश्न संख्या 262)

श्री सुभाष पटेल : अध्यक्ष महोदया, आपने लोक महत्व के आति महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि ओ.एम.सी., एम.आर.पी.एल., एन.आर.एल. के अलावा रिलायंस, एस्सार और शैल को दस हजार पैट्रोल पम्प खोलने के लाइसेंस सरकार ने दिये थे, लेकिन ओ.एम.सी.जी., एन.आर.एल. और एम.आर.पी.एल. ने बहुत ही कम पैट्रोल पम्प्स खोले हैं? रिलायंस, शैल तथा एस्सार ने जो पैट्रोल पम्प्स खोले हैं, उनमें से आधिकांश बंद हो गये हैं। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बंद पड़े पैट्रोल पम्प्स हैं, क्या सरकार की उन्हें प्रारम्भ करने की कोई योजना है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, जहां तक निजी क्षेत्र के पैट्रोल पम्प्स का संबंध है, उन्हें खोलना या बंद करना उनका निजी निर्णय है। भारत सरकार ने अब पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी का सिलसिला बंद कर दिया है।...(व्यवधान) आज पैट्रोल और डीजल की बिक्री में पूरा दाम मिलता है तो वास्तव में आज निजी क्षेत्र को अपने पैट्रोल पम्प्स को शुरू करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसमें सरकार कोई दखलंदाजी नहीं देती है, यह उनका निजी निर्णय है। ...(व्यवधान) परंतु जो योजनाएं बनती हैं और जो ओ.एम.सी.जी. के नये पैट्रोल पम्प्स बनाने की बात है। उसमें इसको एडवरटाइज किया जाता है और जो रेस्पांस मिलते हैं, उसके हिसाब से तय करके अलॉट किये जाते हैं।...(व्यवधान)

श्री सुभाष पटेल : महोदया, मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा देश में आदिवासी बहुल जिलों में कितने पेट्रोल पम्प आवंटित किए गए हैं?...(व्यवधान) क्या सरकार आदिवासी बहुल आबादी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भी सरकारी और निजी कम्पनियों द्वारा क्षेत्रवार पेट्रोल पम्प खोलने हेतु नियम में कुछ सकारात्मक बदलाव कर रही है?...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी मुझे यह भी बतायें कि ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों को, चाहे वे एन.एच. पर स्थित पेट्रोल पम्प

हों, उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, जैसे केएनपी लगाने की क्या कोई योजना है?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, आदिवासी क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प लगें, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।...(व्यवधान) जो अभी तक ओएमसीज ने पेट्रोल पम्प लगाये हैं, उनमें जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन कोटा है, उनके एरियाज के लिए, उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाती है।...(व्यवधान) लेकिन जमीन उपलब्ध होना, उपयुक्त जमीन उपलब्ध होना, सही जगह पर जमीन उपलब्ध होना, जिससे उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी सुनिश्चित हो, उसके हिसाब से निर्णय लिये जाते हैं।...(व्यवधान) अगर किसी आदिवासी क्षेत्र में किसी को जानकारी हो कि वहाँ पेट्रोल पम्प की सख्त आवश्यकता है और वहाँ तकलीफ हो तो सरकार उस पर पूरे तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है।...(व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में अभी उन्होंने जिक्र किया है कि उनको रिजर्वेशन के तरीके से उनके एडवरटाइजमेंट में कोटा दिया जाता है।...(व्यवधान) मगर वहाँ एक कंडीशन एप्लाई होती है कि अवेलबिलिटी ऑफ जमीन के हिसाब से उनको दिया जायेगा।...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो पहले नीति थी, कम्पनी जमीन खुद खरीदती थी और उस जमीन पर पेट्रोल पम्प बनाकर देती थी।...(व्यवधान) क्या उस नीति को सरकार चालू रखेगी?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, आदिवासी क्षेत्रों में जमीन आधिग्रहण में काफी रैस्ट्रिक्शंस हैं।...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उनकी सहमति से ही जमीन ली जाये,...(व्यवधान) इसलिए सरकार इस जमीन को खरीदने के बदले स्वेच्छा से जो जमीन देना चाहे, उसको एन्करेज करती है।...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 263)

श्री चंदूलाल साहू : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) शिक्षा विकास की रीढ़ है और हमारा भारत देश शुरू से ज्ञान-विज्ञान, कला, दर्शन आदि क्षेत्रों में अग्रणी रहा है।...(व्यवधान) मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश इस ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी हो, क्या वे शिक्षा में ऐसा कोई गुणात्मक सुधार लाना चाहते हैं?...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : महोदया, भारत सरकार की कोशिश यह है कि प्रधान मंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किये गये हैं।...(व्यवधान) पहला तो यह है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का जितना आवंटन था, उसे लगभग तीन गुना बढ़ाया है।...(व्यवधान) दूसरा यह है कि हमने एक हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी तैयार की है कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उच्च शिक्षा में हो, उसके लिए 20 हजार करोड़ रूपये कैसे उपलब्ध हों।...(व्यवधान) एक हजार करोड़ रूपये का आश्वासन बजट में वित्त मंत्री जी ने दिया था, उसे हम लागू करने जा रहे हैं।...(व्यवधान) उसके द्वारा मार्केट बान्ड्स निकालकर लिवरेज करके पैसे उसको मिलेंगे तो ये दोनों तरफ से पैसे उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा मिलेंगे।...(व्यवधान) गुणवत्ता सुधार के लिए शोध और अनुसन्धान ज्यादा कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत सारे इनीशिएटिव्स लिये गये हैं।...(व्यवधान) अच्छे विदेशी प्राध्यापक यहां आकर दो सप्ताह अपना कोर्स सिखाएं। ...(व्यवधान) 200 प्राध्यापक पिछले साल आए और 600 प्राध्यापक इस साल आने वाले हैं। ...(व्यवधान) यह हम करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) गुणवत्ता के सुधार के लिए चहुंमुखी प्रयास कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आईआईटी कैंपस में स्टार्ट अप की फैसिलिटी, स्टैंड अप की फैसिलिटी, इनक्यूबेशन पार्क्स और उसके साथ-साथ इंडस्ट्री की जो कस्टमाइज्ड रिक्वेस्ट है, उन रिक्वेस्ट्स के आधार पर शोध हो, उसकी भी रचना पूरी हुई है। ...(व्यवधान)

श्री चंदूलाल साहू : डॉ. बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि यदि आधा पेट रोटी खानी पड़े तो खा लें, लेकिन शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। ...(व्यवधान) मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकसित देशों की तुलना में हमारा शिक्षा मिशन किस स्तर पर है और क्या भारत सरकार वैसी शिक्षा पद्धति के अनुरूप सुधार लाने की कोई योजना बना रही है, ताकि हमारा भारत देश विश्व में एक अलग स्थान बना सके और हम उनसे तुलना कर सकें? ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह बहुत लाजिमी सवाल है। ...(व्यवधान) भारत की प्रचण्ड सम्भावनाएं हैं। ...(व्यवधान) आज चार करोड़ छात्र उच्च शिक्षा में शिक्षा ले रहे हैं। ...(व्यवधान) उसके गुणात्मक परिवर्तन के साथ भारत की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी बढ़ने वाली है। ...(व्यवधान) इनकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं। ...(व्यवधान) हमने बहुत सारी नई योजनाएं तैयार की हैं। ...(व्यवधान) इसमें परसेप्शन का भी वेटेज है और बाकी भी इंस्टीट्यूट्स को ठीक करने के लिए काम हो रहा है। ...(व्यवधान) हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग सही रूप में परिलक्षित हो और हमारी गुणवत्ता सुधरकर यह और बढ़े। ...(व्यवधान) आज मुझे खुशी है कि दुनिया के पहले हजार इंस्टीट्यूट्स में भारत के 34 इंस्टीट्यूट्स आए हैं। ...(व्यवधान) यह संख्या कैसे और बढ़े और उनकी रैंकिंग भी कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनिल शिरोले: महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने मान्यता व्यवस्था में उचित सुधार के बारे में सोचा है। ... (*व्यवधान*) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद [एन.ए.ए.सी.) है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों का आकलन करती है और उन्हें मान्यता देती है। (*व्यवधान*) प्रबंधन और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.बी.ए.) है ... (*व्यवधान*)

इसलिए, हम जो कर रहे हैं वह यह है कि हम पूरे बोर्ड में मान्यता की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली में सुधार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने आई.आई.टी. और आई.आई.एम. से मान्यता एजेंसी बनने की भी अपील की है तब हमारे पास विकल्प भी होंगे। हमारे पास 46,000 महाविद्यालय और लगभग 800 विश्वविद्यालय हैं... (*व्यवधान*) समय पर उनकी मान्यता को पूरा करने के लिए हम एजेंसियों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि तेजी से, गुणात्मक और प्रतिस्पर्धी मान्यता मिल सके... (*व्यवधान*)

इस प्रकार, संस्थानों के पास भी विकल्प होंगे, और सर्वश्रेष्ठ चयन के लिए प्रतिस्पर्धा होगी।... (*व्यवधान*)

श्री प्रेम दास राय: अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को उच्च शिक्षा पर बहुत अच्छे और ठोस जवाब के लिए और सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं... (*व्यवधान*)

मेरा प्रश्न उत्तर-पूर्वी राज्यों से संबंधित है। अब, एक उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी किसी तरह की वित्तपोषण एजेंसी बनाई जाती है तो उत्तर-पूर्वी राज्यों को उसका लाभ नहीं मिलता... (*व्यवधान*)

मैं माननीय मंत्री से समझना चाहूंगा कि वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी उत्तर-पूर्वी राज्यों में काम करेगी क्योंकि उत्तर-पूर्वी राज्यों से उच्च शिक्षा के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में जाते हैं। हमारा मानना है कि अगर पूर्वोत्तर में और संस्थान बनाए गए तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे।... (*व्यवधान*)

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदया, माननीय सदस्य श्री राय ने बहुत ही उचित मुद्दा उठाया है... (*व्यवधान*) मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सभी न केवल पूर्वोत्तर का दौरा करके, बल्कि बहुत अच्छे संस्थानों की स्थापना करके और वहां काम कर रहे संस्थानों की क्षमता में सुधार करके भी पूर्वोत्तर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं... (*व्यवधान*)

[हिंदी]

ये क्या मोदी-मोदी कह रहे हैं? ...(व्यवधान) ये मोदी-मोदी कह रहे हैं क्या? ...(व्यवधान) ये मोदी-मोदी कहने लगें तो अच्छा है, अच्छी चीज है। ...(व्यवधान) मोदी-मोदी कह रहे हो न, तो अच्छी चीज है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदया, सवाल पर आते हुए, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि हम कभी भी पूर्वोत्तर की उपेक्षा नहीं करेंगे... (*व्यवधान*) दूसरी ओर, हाल ही में, हमने तीन राज्यों को सुसज्जित किया है... (*व्यवधान*) हमने केवल उत्तर पूर्वी राज्यों, पूर्वी पहाड़ी राज्यों और अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तथाकथित *बीमारू* राज्यों को धन दिया है, जो पिछले शासन में *बीमारू* थे, अब हम उन्हें आगे लाना चाहते हैं... (*व्यवधान*) इसलिए, यह सुसज्जित तीन राज्य योजना किसी अन्य राज्य में नहीं बल्कि सभी उपेक्षित क्षेत्रों में जाएगी।... (*व्यवधान*) इसलिए, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य, अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ऐसे राज्य हैं, जिन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उत्तर पूर्व के साथ न्याय किया जायेगा । ... (*व्यवधान*)

(प्रश्न संख्या 264)

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विस्तार करने और उन्हें सुगम बनाने का विचार है?...(व्यवधान) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. की कवरेज के बारे में पूछा है। ... (*व्यवधान*) इन दोनों योजनाओं के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। ... (*व्यवधान*) माननीय प्रधानमंत्री इन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सभी संगठित और असंगठित श्रमिकों को उपलब्ध करा रहे हैं।... (*व्यवधान*) इस संबंध में, ई.एस.सी.आई. के मामले में मजदूरी की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है।... (*व्यवधान*) इस संबंध में एक प्रारूप अधिसूचना दिनांक 6/10/2016 को जारी की गई है। इससे ई.एस.आई.सी. के अधीन 30 लाख नई आई.पी. आ जायेंगी ।... (*व्यवधान*) मुझे यह सूचित करते हुए भी खुशी हो रही है कि लगभग 4,50,00,000 निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों को अब चरणबद्ध तरीके से ई.एस.आई.सी. सुविधा मिल रही है।... (*व्यवधान*)

माननीय सदस्य ने ई.पी.एफ.ओ. कर्मियों के बारे में बहुत सही प्रश्न पूछा है।... (*व्यवधान*) ई.पी.एफ.ओ. ने 1 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक नामांकन अभियान का प्रस्ताव रखा है। हम ई.पी.एफ.ओ. के तहत कवरेज को भी 15,000 रुपए से 75,000 रुपए कर रहे हैं।... (*व्यवधान*) ऐसा प्रस्ताव है। सी.बी.आई.टी. की उप-समिति ने अनुमोदन दे दिया है और हम इस बारे

में चर्चा करेंगे।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा : अध्यक्ष महोदया, मैं इसके अलावा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बोर्ड, निगम, कारखानों, कॉन्ट्रैक्टर्स आदि विविध जगह कार्य करने वाले श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी का लाभ देने के बारे में कोई कदम उठाने वाली है? ...(व्यवधान) जैसे बोर्ड, निगम के कर्मचारियों को 500 रुपये से 1000 रुपये तक पैंशन दी जाती है।...(व्यवधान) विद्युत बोर्ड के निवृत्त कर्मचारियों को बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। ...(व्यवधान) क्या सरकार ऐसे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आगे कोई कदम उठाने वाली है?...(व्यवधान)

श्री बंडारू दत्तात्रेय : अध्यक्ष महोदया, अगर हमारे मजदूरों के खिलाफ ईएसआईसी या ईपीएफओ के आधिकारी ऐसी चेष्टा करते हैं तो मैं उनके बारे में विचार करूंगा। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जिस पर्टिकुलर ईश्यू के बारे में बताया है, मैं डिपार्टमैंट से बात करके उन्हें बताने की कोशिश करूंगा। ...(व्यवधान) **[अनुवाद]** ठेका श्रमिक ई.पी.एफ.ओ. के अंतर्गत आ रहे हैं।... (*व्यवधान*) हम ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. के तहत ठेका श्रमिकों के नामांकन के लिए कदम उठा रहे हैं।... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अध्यक्षपीठ आपकी सहायता के लिए तैयार है। आप चर्चा कर सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप कोई चर्चा नहीं चाहते हैं।

… ***(व्यवधान)***

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.30 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर[3]

तारांकित प्रश्न संख्या 265 से 280

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220

[3] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।**
□□□□□://□□□□□□□.□□/□□/□□/□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□-□□□-□□□□□□□□
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याहन् 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह *बजे पुनः समवेत हुई ।*

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष द्वारा बधाई

एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आप सभी 4 दिसंबर, 2016 को बैंकॉक, थाईलैंड में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप खिताब जीतने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने में मेरे साथ शामिल होंगे।

इन सभी खिलाड़ियों ने हमें गौरवान्वित किया है।

हम भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई देते हैं और भावी प्रतिस्पर्धाओं में उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं देते हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, कम-से-कम, अब आप हमें बोलने की अनुमति दीजिए। ... (*व्यवधान*)

-

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री राजेश रंजन, जय प्रकाश नारायण यादव, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, जितेन्द्र चौधरी, एन.के. प्रेमचंद्रन, प्रो. सौगत राय, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, सर्वश्री पी. करुणाकरण, मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, सुदीप बन्दोपाध्याय, वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और पी.के. बिजू से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं मिली हैं।

हालाँकि यह महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन आज के कार्य को बाधित करने के लिए कारण नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (*व्यवधान*)

अपराह्न 12:03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम): मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं –

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 5604/16/16]

... (*व्यवधान*)

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं –

(1) कर्मचारी पेंशन (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 2 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1036[अ] में प्रकाशित हुई थी।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 2016 जो 2 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1035(अ] में प्रकाशित हुई थी।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 2016 जो 11 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1065(अ] में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल.टी 5605/16/16]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): श्री धर्मेन्द्र प्रधान की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं –

(12) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 5606/16/16]

(2) (एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 5607/16/16]

(3) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 5608/16/16]

(4) (एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2015-2016, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षककी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी 5609/16/16]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं –

(12) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5610/16/16]

(2) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5611/16/16]

(3) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 5612/16/16]

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013से 2014-2015 तक के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 5612ए/16/16]

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल.टी. 5612बी/16/16]

[हिन्दी]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

...(व्यवधान)

12. (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5613/16/16]

2. कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5614/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :- ...(व्यवधान)

(12) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5615/16/16]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं –

(12) कंपनी आधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) –

(एक) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5616/16/16]

(2) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा। ...(व्यवधान)

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक – महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5617/16/16]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूंः-

(12) (एक) इंडियन काऊंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। ...(व्यवधान)

(दो) इंडियन काऊंसिल ऑफ फिलोसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखनें हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5618/16/16]

(3) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। ...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गयीं, देखिए संख्या एल.टी 5619/16/16]

(4) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड का वर्ष 2015-16 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 5620/16/16]

(5) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 5621/16/16]

(6) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5622/16/16]

(8) पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं.पीयू/एसीए-1/संशोधन/2013-14 जो 15 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के परिनियम सं. 19 के खंड (1) और (2) के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 5623/16/16]

(9) तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(12) अधिसूचना सं.91 जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के परिनियम 2 (4) के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रतिकुलपति की परिलब्धियों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में

है।

(तीन) अधिसूचना सं. एफ. 12-2/97/(जीए-आई)वाल्यू-पांच/3659 जो 22 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो तेजपुर विश्वविद्यालय के शासी परिषद के संविधान, शक्ति और कृत्यों से संबंधित अध्यादेश संख्यांक 21 के संशोधन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 5624/16/16]

(10) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) अधिसूचना सं.22 जो 3 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के परिनियम 11और 13 के संशोधन के बारे में हैं।

(दो) अधिसूचना सं. 267 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के परिनियम 2 (4); 11 और 13 के संशोधन के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना सं. 388 जो 25 अक्टूबर, 2016 के के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के परिनियम 5, 11, 13, 41 और 45 के संशोधन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी 5625/16/16]

(11) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 10 के साथ पठित धारा 23 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (सम्मिश्रित अधिगम रीति से तकनीकी शिक्षा के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाना) विनियम, 2013 जो 28 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 37-3/लीगल/एआईसीटीई/2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी 5626/16/16]

अपराह्न 12:04 बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

25वां प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में समिति (16वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। ...(व्यवधान)

अपराह्न 12:05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) (क) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[4]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 125वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में रबड़ उद्योग' के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 124वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[5]

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित "भारत में रबड़ उद्योग" के बारे में समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 124वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

---

[4] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5627/16/16।

[5] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5628/16/16।

<u>अपराह्न 12:06 बजे</u>

(ii) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति[6]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. महेश शर्मा): मैं पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

[6] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 5629/16/16।

अपराह्न 12:07 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि हिंदी में आइटम संख्या 13 पर लिखा है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करेंगी और अंग्रेजी में लिखा है कि श्री प्रकाश जावड़ेकर उसी प्रस्ताव को पेश करेंगे। क्या अब पद्धति ऐसी हो गई है कि हिंदी में एक मिनिस्टर बोलेगा और अंग्रेजी में दूसरा मिनिस्टर बोलेगा?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नंबरिंग गलत हो गई होगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अध्यक्ष महोदया, आप इस पर विनिर्णय दे सकती हैं। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं इसे देखूंगी, नंबरिंग में कोई गलती हुई होगी। मैं देख लूंगी।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड(ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए

अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् अधिनियम, 2007 की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड(ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

500 और 1000 करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, हम सब बार-बार आपसे विनती कर रहे हैं कि आपके सामने रूल 184 में रिजाल्यूशन रखा है, उसे स्वीकार करें। इससे पहले आपने कहा कि रूल 56 में यहां डिसकशन नहीं हो सकती है, इसे मोडिफाई करके किसी और तरीके से लाइए। हम सब ने मिलकर और तरीका ढूंढा कि रूल 184 में इस विषय को लें। लोगों को तनख्वाह के पैसे नहीं मिल रही है, पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, लोग क्यू में खड़े हैं, सैंकड़ों लोग मर गए हैं, बहुत से लोग बीमार हो गए हैं।...(व्यवधान) देश में जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। चार लाख लोग अनएम्पलाइड हो गए हैं। ये सारी रिपोर्ट आपके पास है।...(व्यवधान) आप इसे सीरियसली लीजिए। हम सीरियसली डिसकस करना चाहते हैं और सारे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कितना फायदा हुआ है। इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए।...(व्यवधान) सरकार क्यों भाग रही है? हम तो नहीं भाग रहे हैं। हम डिसकशन के लिए तैयार हैं। सरकार के पास ह्यूज मेजोरिटी है। इतने लोग चुनकर आए हैं, उनको खुद को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मतदान से क्यों भाग रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जैसा कहा हमने सुना। आपने कहा रूल बदलकर लाइए, 17 पार्टियों ने मिलकर एक मुद्दा बनाकर लाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बदलकर लाए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे पास ऐसा कोई नोटिस थोड़े ही है। मुझे ऐसा नहीं लगता।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमने आपको नियम 184 के तहत नोटिस दिया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने यह नोटिस मेरे हाथ में नहीं दिया है। सब नोटिसेज आफिस जाते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अब नोटिसेज सैक्रिटेरियेट में दिये या आपके आफिस में दिये, यह एक ही बात है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): महोदया, नियम 184 के अधीन नोटिस दिया गया है। हमने नोटिस दिया है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप यह डिसकशन एलाऊ कीजिए, वोटिंग एलाऊ कीजिए। ...(व्यवधान) इससे कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है या आकाश गिरने वाला नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, ये लोग मतदान से क्यों भाग रहे हैं? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बार-बार वही बात कर रहे हैं। आप एक ही बात दोहरा रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जितेन्द्र जी, मैं आपको भी बोलने का मौका दे दूंगी। आप सब रोज इसी पर डिसकशन किया कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह है कि बहस से कौन भागता है?[अनुवाद] यही सवाल सामने आ रहा है। ... (*व्यवधान*) मुझे जो मिल रहा है वह यह है कि मद के अन्तर्गत , नियम 193 के अधीन चर्चा में पहला नाम श्री भर्तृहरि महताब का है। कम-से-कम आज वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। ... (*व्यवधान*)

दूसरी बात, मैं आपको जो बता रहा हूं वह है कि अंततः चर्चा नहीं हो रही है। जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है यह देखने की कि सदन कैसे चल रहा है? सरकार की या विपक्षी दलों की? उनके पास बहुमत है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि सदन ठीक से चले, और उनके पास पूर्ण बहुमत है जिसके द्वारा वे आसानी से नियम 184 के तहत चर्चा शुरू कर सकते हैं जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ परामर्श करके नोटिस प्रस्तुत किया है। मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है जिसे, यदि नियम 184 के तहत चर्चा शुरू होती है और मतदान होता है, तो मैं वापस लेना चाहता हूं... (*व्यवधान*)

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को सामान्य स्थिति में चलने दे। वाद -विवाद होने दें, और चर्चा होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, आप कस्टोडियन हैं, आप सदन की माननीय अध्यक्ष हैं। अब विपक्ष निवेदन कहां करेगा? ...(व्यवधान) वह आपके पास ही करेगा। हम आपसे बार-बार निवेदन कर रहे हैं कि नोटबंदी पर बहस होनी चाहिए। हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। हम आगे बढ़कर धारा 184 पर बहस करने के लिए तैयार हैं। इस धारा के तहत बहस के साथ मत विभाजन हो, लेकिन नोटबंदी के नाम पर सदन में बहसबंदी हो गयी। केन्द्र सरकार कैसे इन कामों को अंजाम दे रही है? हम यहां बहस के लिए तैयार हैं। आज लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, पेंशन नहीं मिल रही। बिना परिणाम के समझे यह अव्यावहारिक काम किया गया है। शादी-विवाह से

लेकर खाद-बीज तक किसानों को नहीं मिल रहा है। आज स्थिति बहुत खराब हो गयी है। लोगों की मौतें हो रही हैं। ...(व्यवधान) एक सौ पांच मौतें हो गयी हैं। ...(व्यवधान) इस पर शोक प्रस्ताव भी आना चाहिए। ...(व्यवधान) इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? ...(व्यवधान) लोग एटीएम की लाइनों में लगे हुए हैं। ...(व्यवधान) लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ...(व्यवधान) यह सरकार का असत्य वायदा है। यह सरकार असत्य साबित हो रही है। ...(व्यवधान) पच्चीस दिन से ऊपर हो गये हैं। ...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदया, हमने ऑल पार्टी मीटिंग, बीएसी मीटिंग और अन्य सभी मीटिंग्स में यही कहा है कि [अनुवाद] काले धन पर अंकुश लगाने की हमारे प्रधानमंत्री की मंशा स्वागत योग्य है। [हिन्दी] हर पार्टी, 17 पार्टीज और हर आदमी यही बोल रहा है कि [अनुवाद] केवल कार्यान्वयन ही एक समस्या है। इसे कैसे रूपान्तरित किया जा रहा ,यही समस्या है। इसलिए, मैंने जो सुझाव दिया और मेरी पार्टी ने क्या सोचा और श्री भर्तृहरि महताब के साथ भी जब हमने आपके साथ और श्री अनंतकुमार जी के साथ चर्चा की, जब हम, सभी बैठे,[हिन्दी] हमने यही बोला कि गले में सांप गिर गया है और वह सांप काटकर ही रहेगा। लेकिन उसका हल कैसे निकालना है, किस तरह से उस पर दवा लगानी है, यह हल हमें खोजना है। आज जिस तरह से लोगों को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने का सुझाव दिया है। ...(व्यवधान) इस तरीके से भी चर्चा हो सकती है।

मैडम, हमने आपको पूरी फ्रीडम दी है कि आप नियम 193, 184 या 56, जिस भी नियम के तहत आप चर्चा कराना चाहती हैं, वह कराइये। लेकिन इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। ... (*व्यवधान*) यह इसलिए करना होगा क्योंकि पब्लिक हर दिन बहुत प्रॉब्लम फेज कर रही है। ...[व्यवधान) इवेन हैदराबाद के अंदर में, आज हमारे पेपर्स में लिखा है कि पब्लिक बैंकर्स को मारने गयी थी। इस तरीके से वायलेंस आगे न बढ़े, पब्लिक इसे अपने हाथ में न ले, उसके लिए हम

सभी लोग इस पर चर्चा करें।...(व्यवधान) हम लोग नियम 193 के तहत चर्चा चाहते हैं, वे लोग नियम 184 के तहत चर्चा चाहते हैं, किसी भी तरीके से चर्चा हो और हम सरकार को अपने सुझाव दे दें कि किस तरीके से इसको चलाएं। ..(व्यवधान) आज बैंक वालों का स्टेटमेंट आया है कि दो लाख 25 हजार एटीएम में से केवल एक लाख एटीएम चल रहे हैं। ..(व्यवधान) आज मैंने हिन्दू पेपर में देखा - "बैंक के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं।□ इस तरीके से देश की स्थिति खराब हो रही है। मेरा सुझाव है कि किसी भी नियम के अंतर्गत आप इस पर चर्चा शुरू कराइए और इमिडिएटली इसका समाधान निकालिए, अन्यथा आज जनता परेशान हो रही है।..(व्यवधान)

अगर आप अनुमति दें तो मैं नियम 193 के तहत चर्चा अभी शुरू कर देता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं तैयार हूं।

[हिन्दी]

इसी विषय पर वोटिंग कर लो कि नियम 193 में हो या 184 में चर्चा हो।

श्री मुलायम सिंह यादव जी।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आप इसको गंभीरता से लीजिए। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी कहता हूं कि इसको गंभीरता से लीजिए। आप देखें, दो महिलाएं 1000 रुपये के नोट लेकर गयीं, उनको मना कर दिया गया कि ये नोट नहीं चलेंगे तो उनकी वहीं मौत हो गयी। उन दो महिलाओं की मौत हो गयी। अभी तक उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो चुकी है।...(व्यवधान) सारे देश में ऐसी 105 मौतें हो चुकी हैं। इससे ज्यादा गंभीर मामला क्या हो सकता है? आप बताइए, अगर आपको यह काम करना था तो सदन के नेताओं को बुलाने में परेशानी क्या थी?...(व्यवधान) हम लोग अपने सुझाव देते, इसमें परेशानी क्या थी? चोरी से रात को आठ बजे,...(व्यवधान) चोरी से

रात आठ बजे डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम जनता की बात कहां रखेंगे?...(व्यवधान) अभी मैं आ रहा था रास्ते में, बैंक पर लोगों की लाइन लगी हुई है। आप पता लगाइए कि बैंकों में क्या हाल है? वहां लाइन लगी हुई है। इसी तरह से किसान और व्यापारी, इन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनका संबंध गहरा है, किसान पैदावार करता है, व्यापारी को बेचता है और व्यापारी उसकी सप्लाई करता है पूरे देश के खाने के लिए। इनके बारे में आपने क्या सोचा? किसान के बारे में क्या सोचा? ..(व्यवधान) अब बहुत से किसान फसल नहीं बो पाए हैं। बुआई नहीं कर पाए हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही पता लगा लीजिए, किसान बुआई नहीं कर पाए हैं। उनको बीज और खाद नहीं मिली है। आप बताइए अगर इस गंभीर सवाल पर भी सदन में बहस आप स्वीकार नहीं करेंगी, तो इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके जीवन में नहीं आ सकता।...(व्यवधान) क्या नोटबंदी कोई मामूली मुद्दा है? अगर आपको नोट बदलना ही थे, तो हम लोगों को भी साथ बैठा लेते कि हम इस तरह से नोट बदलना चाहते हैं।...(व्यवधान) मेरा यही कहना है।...(व्यवधान) आप देख लेना। जब जनता के बीच जाएंगे, तब पता चलेगा। जब जनता और किसानों के बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा।...(व्यवधान) यह समस्या आपके सामने भी है। उस जनता से आपको भी काम पड़ेगा।...(व्यवधान) जनता के बीच आप भी जाएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, इसमें आप किसी को विश्वास में नहीं लेकर, न जाने क्या श्रेय लेना चाहते हैं? एक-दो बड़े उद्योगपतियों और बड़े पूंजीपतियों के कहने से क्या नोटबंदी होगी? कौन नहीं जानता है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुलायम सिंह जी, अब बैठिए। आपकी बात आ गयी है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम किसी पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी बात कहना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि हिन्दुस्तान के महज कुछ बड़े उद्योगपतियों की राय से यह हुआ है, जनता की राय से या हमारी राय से नहीं हुआ है। ...(व्यवधान) हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, हम बोलना नहीं चाहते हैं और न हमारी ऐसी राय है कि ऐसा बोलें। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम जनता का दुख-दर्द कहना चाहते हैं। किसान, मजदूर और व्यापारी की बात कहना चाहते हैं। किसान और

व्यापारी से किसका संबंध है? उनकी राय नहीं ली जा रही है। क्या आपको अनुभव नहीं है? भले ही आपकी मजबूरी है। वह अलग बात है। हम जो बोल रहे हैं, ये बोलते हैं, ये किसान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं उल्टा। समर्थन करते हैं उनका। हम तो ऐसा नहीं करते हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं प्रतिपक्ष के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि डीमोनेटाइजेशन जिसे बोलचाल की भाषा में नोटबंदी कहते हैं, इस नोटबंदी के सवाल को लेकर सरकार की इंटेंशन पर किसी ने संदेह व्यक्त नहीं किया है, इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हां, यह सच है कि लोगों को इस बात पर आपत्ति है कि इसका इम्पलीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए, वह शायद इन लोगों की सोच के अनुसार नहीं हो पा रहा है।...(व्यवधान) लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक सत्ता पक्ष का प्रश्न है, हम इस विषय पर बहस करने के लिए तैयार हैं और यह जानना चाहते हैं कि इम्पलीमेंटेशन को लेकर कहां पर क्या कठिनाई पैदा हो रही है, कहां पर क्या अड़चनें पैदा हो रही हैं?...(व्यवधान) मैं प्रतिपक्ष को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी इम्पलीमेंटेशन की कठिनाइयों से प्रतिपक्ष अवगत कराएगा, उसका यथासंभव निराकरण करने की हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे।...(व्यवधान) हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो यह फैसला किया है, यह राष्ट्र-हित को ध्यान में रखकर फैसला किया है।...(व्यवधान) देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, भारत की अर्थव्य़वस्था को ताकत देने के लिए यह फैसला किया है। कालेधन की एक पैरेलल इकोनॉमी की जो चर्चा होती थी, उसे समाप्त करने के लिए यह फैसला किया है।...(व्यवधान)

आतंकवाद, माओवाद और उग्रवाद की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं और जिस तरीके से ब्लैक मनी और फेक मनी की सप्लाई हो रही थी, उसे रोकने के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह फैसला किया है।...(व्यवधान) इसीलिए मैं प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय अध्यक्ष जी, नियम 184 के तहत चर्चा करा लीजिए।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप नियम की बात छोड़िए।...(व्यवधान) देखिए, आप सबने...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। कल्याण जी, पूरी बात तो सुननी चाहिए। राजनाथ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कल्याण जी, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल जो राजनाथ सिंह जी बोलेंगे, वही बात रिकार्ड में जाएगी। मैंने अन्य किसी को एलाऊ नहीं किया है। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

केवल जो श्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं , वही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)...[7]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है।

श्री राजनाथ सिंह जी, कृपया अपनी बात पूरी करें।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, क्या बात है? कृपया बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने देखा कि बहस किस

[7] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम के अन्तर्गत होनी चाहिए, इस प्रश्न पर भी पूरी अपोजीशन डिवाइडेड है। एक ओपिनियन भी नहीं है कि इस नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) ऐसा ही है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि जैसे हमारे जितेन्द्र रेड्डी जी ने यह बात कही है, नियम का प्रश्न नहीं है। हम बहस चाहते हैं और इम्पलीमेंटेशन में यदि कहीं पर कोई कमी रह गई है तो उसे हम हाइलाइट करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

मैं पुन: आश्वस्त करना चाहता हूं कि इम्पलीमेंटेशन को लेकर कहीं पर सरकार के पार्ट पर यदि कोई कमी रह गई होगी तो हम उसे ठीक करेंगे क्योंकि जो यह हमारा फैसला है, वह राष्ट्र के हित में लिया गया फैसला है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और साथ ही प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि अब वह यह बात अध्यक्ष महोदया पर छोड़िए कि वह जिस भी नियम के अन्तर्गत चर्चा कराना चाहती हों अथवा बिना नियम के चर्चा कराना चाहती हों तो चर्चा हम सबको प्रारम्भ करनी चाहिए।...(व्यवधान)

खड़गे साहब. मैं आपसे भी विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि सत्ता पक्ष चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। कृपया अब इस पर चर्चा को प्रारम्भ करें और खड़गे साहब, अब आप ही इस चर्चा को प्रारम्भ करें। मैं अध्यक्ष महोदया जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें आमंत्रित करें और चर्चा प्रारम्भ की जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब एक मिनट मेरी भी बात सुनिए। मैं आपकी बात सुनूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसी चर्चा मत करिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी वही बात कह रहा हूं। रॉंग मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो भी किसानों, मजदूरों के हितों की बात करने वाले हैं, क्या वे सभी देशद्रोही हैं?...(व्यवधान) जो किसानों की हित की बात करते हैं,...(व्यवधान) जो मजदूरों की हित की बात करते हैं, ...(व्यवधान) जो छोटे व्यापारियों की हित की बात करते हैं,...(व्यवधान) क्या वे सभी देशद्रोही हैं, हम यह पूछना चाहते हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कोई भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हम यह चाहते हैं कि इसका कोई समाधान हो, ...(व्यवधान) हम सजैशंस देना चाहते हैं।...(व्यवधान) आप भी हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान) 50 दिनों में 1,28,000 करोड़ रूपये का नुकसान होने वाला है।...(व्यवधान) 8,00,000 से 10,00,000 लोग बेरोजगार होने वाले हैं। ...(व्यवधान) पूरा मैन्यूफैक्चरिंग सैक्टर ठप हो गया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.26 बजे

(इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : आप चर्चा शुरू कर रहे हैं ?

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं, आप हमारी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप चर्चा शुरू कर रहे हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अपराह्न 12.27 बजे

(इस समय, श्री कल्याण बनर्जी, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैडम, उनको मालूम होना चाहिए,...(व्यवधान) इसलिए आप नियम 184 के तहत चर्चा शुरू कीजिए।... (व्यवधान) मैं आंकड़ों के साथ बोलता हूं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*) ... [8]

[हिन्दी]

[8] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात इतनी देर तक सुनी, आप भी चेयर से कुछ सुनिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चर्चा के लिए, चाहे इस तरफ के माननीय सदस्य हों या उस तरफ के माननीय सदस्य हों, पूरा सदन चर्चा के लिए तैयार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी लोग सामान्य जनता के सुखःदुःख की बात करना चाहते हैं। मैं भी उन्हीं सामान्य लोगों में से ही चुन कर यहां आयी हूं और आज इस कुर्सी पर बैठी हूं। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि आज नियम 193 के तहत चर्चा लगी है, फिर भी अगर वास्तव में पूरा सदन चर्चा करना चाहता है तो मैं चेयर की तरफ से भी सहयोग देने को तैयार हूं, आप नियम के लिए लड़ाई नहीं लड़िए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:वास्तव में जनता का दुःख दूर करने के लिए, मैं तैयार हूं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अभी आप चर्चा करना चाहेंगे तो बिना नियम के भी चर्चा करने की अनुमति दे सकती हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें तो चर्चा शुरू करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जब वोट का समय आयेगा तब वोट की बात करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या इस बात पर भी वोट करेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप जिद्द ही करेंगे तो लोगों की सुख-दुःख की चर्चा नहीं हो सकती है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इससे यह मैसेज जाता है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कृपया, मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब निर्णय आपके ऊपर है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिधूड़ी जी, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री धर्मेन्द्र यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप न हमारी सुनिए और न इनकी सुनिए कि किस नियम के तहत चर्चा होनी चाहिए।...(व्यवधान) आपने जैसा कहा था,...(व्यवधान) आप

बिना किसी नियम के ही चर्चा प्रारंभ करे दें,...(व्यवधान) मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब हम शून्य काल लेते हैं।

श्री रमेश बिधूड़ी।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में गरीबों के हित के लिए एक सेन्सिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान) इन...* की सरकार 20 साल तक रही,...(व्यवधान) वर्ष 1983-84 में भूमिहिनों को प्लॉट्स दिये गये थे। ...(व्यवधान) उन भूमिहिनों को उनका मालिकाना हक, यह सरकार कभी नहीं दे पायी।...(व्यवधान) यह दिल्ली में रहे और केन्द्र में भी रहे।...(व्यवधान) जो लोग वर्ष 1983-84 से सरकारी ग्राम सभा की जमीन पर बैठे हैं,...(व्यवधान) उन्होंने कुछ लोगों को वे प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिये हैं। ...(व्यवधान) वर्ष 2011 में ऑनरेबल लेफ्टिनैंट गवर्नर जनरल ने आदेश जारी किया कि उनका मालिकाना हक होना चाहिए। ...(व्यवधान) ये ... [9] जो हरिजनों की बात करते हैं,...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन लोगों के प्लॉट का नोटिफिकैशन करके, दिल्ली सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार उन लोगों को मालिकाना हक दिलायें।...(व्यवधान) उन लोगों की रजिस्ट्री को वैलीड किया जाये।... (व्यवधान) धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री शरद त्रिपाठी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी-विवाह से लेकर त्योहार व मांगलिक अवसरों पर सोने-चाँदी के गहने खरीदने और पहनने की परम्परा है।...(व्यवधान) प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अनुसार सोने-चाँदी के जेवर खरीदता है और ये गहने उसके लिए आर्थिक सुरक्षा का भी काम करते हैं।...(व्यवधान) हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जिसमें सोने-चाँदी का व्यवसाय ज्यादातर स्थानीय व्यावसायियों द्वारा किया जाता है, जो हॉलमार्क के जेवर नहीं बेचते हैं।...(व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में सोने-चाँदी के जेवरों

[9] कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की अशुद्धता का प्रतिशत सोने में 30 से 35 प्रतिशत तक और चाँदी में 50 प्रतिशत और कहीं-कहीं इससे भी आधिक होता है।...(व्यवधान) लोक सभा में दिनांक 29.11.2016 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि हमारे देश में हॉलमार्क जेवर बेचने की बाध्यता नहीं है और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जी ने यह भी बताया था कि जांच करने पर अशुद्धता का प्रतिशत 11 से 13.50 प्रतिशत सोने के जेवरों में पाया गया है, परन्तु यह औसत है जबकि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अशुद्धता आधिक है।...(व्यवधान) मंत्री जी ने उत्तर में बताया था कि हॉलमार्क केंद्रों की संख्या गुजरात, केरल, तमिलनाडु में जहां क्रमशः 48, 45 और 54 की है, वहीं उत्तर प्रदेश, जो 22 करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है, वहां केवल 16 हॉलमार्क केंद्र हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं, चूंकि सोने-चाँदी के जेवरों की खरीद लोग बचत व पूंजी के तौर पर भी करते हैं, इनकी अशुद्धता से लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान होता है। अतः सोने-चाँदी के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क की आनिवार्यता की जाए तथा उत्तर प्रदेश में हॉलमार्क केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री राघव लखनपाल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री रोड़मल नागर, श्री शरद त्रिपाठी और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : अध्यक्ष महोदया, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति की एक भी इकाई यदि बाल श्रमिकों जैसे आभिशाप से आभिशप्त रही, तो ध्यान रहे कि हम भविष्य की कई स्वर्णिम संभावनाओं को तो खो ही रहे हैं, साथ ही राष्ट्र की मुख्यधारा से विमुख कई समस्याओं को पाल रहे हैं जो परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए सर्वथा हानिकारक हैं।...(व्यवधान)

महोदया, मैं सीधी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं। मेरे सीधी जिले के एनजीओ व जन

अभियान परिषद के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग तीन हजार बाल श्रमिक हैं किंतु इन आंकड़ों को नकार कर प्रशासन एक भी बाल श्रमिक की मौजूदगी स्वीकार करने में असमर्थ हो रहा है।...(व्यवधान) सिर्फ सीधी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि देश के अन्य जगहों पर ऐसी स्थितियां विराजमान होंगी।...(व्यवधान) मैं चाहती हूं कि इन विकृतियों को खुले मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं पूरे मन से यह भी कहना चाहती हूं कि बाल श्रमिकों की इस श्रृंखला में विराम लगना चाहिए और उनके उत्थान व उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

महोदया, बाल श्रम स्कूलों के माध्यम से बाल श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा को स्किड एजुकेशन में परिवर्तित किया जाए और उन्हें उनके रुचिकर भविष्य के निर्माण में सहायता दी जाए।...(व्यवधान) बाल श्रम स्कूलों को व्यावहारिक धरातल पर प्रभावी मजबूत परिणामकारी करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सदन से एक गंभीर आवेदन और निवेदन करना चाहती हूं कि भारतवर्ष के कोने-कोने में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर कूड़ा-करकट के ढेर में कबाड़ आदि का बीनते हुए झुंड के झुंड में ये बालक दिखाई देते हैं और यह कार्य करने के लिए आभिशप्त हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगी कि भारत सरकार और प्रशासन बाल श्रमिकों की मौजूदगी और उनकी दुखद स्थितियों को साहस के साथ स्वीकार कर इस दिशा में आगे क़दम बढ़ाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी – अनुपस्थित।

... (*व्यवधान*)

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनाकापल्ली): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 'शून्य काल' के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने का अवसर दिया। ... (*व्यवधान*)

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन स्थापित किया जाएगा, जिसमें तीन मण्डल, अर्थात् विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंटकल और पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर मण्डल शामिल होंगे। लगभग एक दशक से, एक नए रेलवे जोन की मांग की जा रही है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा, क्योंकि वर्तमान वाल्टेयर मण्डल पूर्वी तट रेलवे जोन में सबसे अधिक राजस्व कमाने वाला क्षेत्र है। 2013-14 में वाल्टेयर मण्डल की कुल कमाई लगभग 6,280 करोड़ रुपए थी, जो पूर्वी तट रेलवे जोन के कुल वार्षिक राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत है। ... (*व्यवधान*)

विशाखापत्तनम को दो प्रमुख बंदरगाहों के होने का प्राकृतिक लाभ प्राप्त है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पास प्रचुर मात्रा में भूमि आसानी से उपलब्ध है। वाल्टेयर मण्डल में सबसे बड़ा लोको शेड और एक उत्कृष्ट कोच रखरखाव डिपो है। ... (*व्यवधान*)

जैसा कि हम सभी जानते हैं, विशाखापत्तनम एशिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, जिसमें पूर्वी नौसेना कमान, एन.एस.टी.एल., बी.एच.ई.एल., बी.ए.आर.सी., एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी आदि जैसे कई प्रतिष्ठित संगठन हैं और वर्तमान वाल्टेयर रेल मण्डल में नए रेलवे जोन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी चिकित्सा, शैक्षिक, खेलसंबंधी अवसंरचना आदि उपलब्ध

हैं। ... (*व्यवधान*)

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश में एक नए रेलवे जोन का गठन अनिवार्य हो गया है क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद में स्थित है। दक्षिण मध्य रेलवे के तीन मंडलों को पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर मंडल के साथ एकीकृत करना और आंध्र प्रदेश को अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक नया रेलवे जोन स्थापित करना है। निः संदेह प्रस्तावित नए रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित करने के लिए विशाखापत्तनम आदर्श विकल्प है। ... (*व्यवधान*)

प्राकृतिक फायदों को देखते हुए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह बिना देरी किए एक नया रेलवे जोन बनाने की घोषणा करे जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती) द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति है।

श्री बैजयंत जे पांडा (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में प्रतिदिन 59 लोग आग की दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। मैं इस सदन में अपने सहयोगियों से इस संख्या पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ । यह पिछले 15 वर्षों का औसत है। इस देश में प्रतिदिन औसतन 59 लोगों की आग लगने के कारण मृत्यु हो जाती है, चाहे वह ओडिशा में अस्पताल में लगी आग हो या केरल के मंदिर में लगी आग या अनेक आवासीय और कार्यालय भवन, जिनमें सुरक्षा के उचित उपाय नहीं हैं। ... (*व्यवधान*)

मैं बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय की एन.डी.आर.एफ. की सिविल डिफेंस वेबसाइट में कहा गया है कि देश में दमकल केंद्रों की लगभग 98 प्रतिशत कमी है। यधपि राज्य सरकारों और नगर

पालिकाओं द्वारा इन्हें स्थापित किया जाना होता है, तथापि यह एक राष्ट्रीय संकट है। मैं यहां सरकार और अपने सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ कि वे दमकल केंद्रों के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार की योजना का समर्थन करें। हम अपने देश में इस तरह की दुर्घटना में मौत का जोखिम नहीं उठा सकते। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री बैजयंत जे पांडा द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में दूरसंचार व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

महोदया, एक ओर जहां सरकार देश भर में डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के हर कोने को जोड़कर संचार क्रांति का कार्य कर रही है,...(व्यवधान) वहीं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में विभागीय आधिकारियों व कर्मचारयों की लापरवाही व गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के चलते सम्पूर्ण व्यवस्था ध्वस्त हो रही है।...(व्यवधान) एक ओर जहां अन्य टेलिकॉम कम्पनियां 4जी सेवा की ओर अग्रसर हो रही हैं, वहीं बीएसएनएल 2जी सेवा भी निरंतर नहीं दे पा रही है।...(व्यवधान) आधिकांश समय लिंक फेल होने, ओएफसी केबल प्रणाली की सतत् निगरानी व समय सीमा निर्धारण नहीं होने, राजमार्ग व अन्य सड़क आदि बड़े निर्माण कार्यों के स्वीकृति के पश्चात लाईन उखड़ने तक शिफ्टिंग की योजना नहीं होना एक गंभीर परिस्थिति को दर्शाता है,...(व्यवधान) जिससे किसान, व्यापारियों व आम जनता को होने वाली परेशानियों से क्षेत्र में शासकीय दूरसंचार व्यवस्था के प्रति भारी असंतोष व्याप्त है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि संचार व्यवस्थाओं की सर्व-सुलभ पहुंच आम-जन तक पहुंचाने हेतु व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण, जवाबदेही

पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, पर्याप्त व कुशल तकनीकी स्टॉफ आदि कार्यों का समुचित व्यवस्थापन किए जाने से क्षेत्र को लाभ होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्री सुधीर गुप्ता को श्री रोडमल नागर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदया, मैं बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहता हूं।...(व्यवधान) सर्जिकल स्ट्राइक की गयी और कहा गया कि इसके माध्यम से हमने आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है।...(व्यवधान) लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी अभी तक 31 जवान मारे जा चुके हैं।...(व्यवधान) उरी से लेकर नगरोटा, पम्पोर और कई अन्य स्थानों पर सेना पर हमले की घटनाएं हो रही हैं।...(व्यवधान) यह बातें भी लगातार आ रही हैं कि आतंकवाद और उग्रवाद इत्यादि को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।...(व्यवधान) लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आजादी के बाद पहली बार लगातार तीन आर्मी हैडक्वार्टर्स के भीतर जाकर आतंकवादियों ने सैनिकों को मारा है। परंतु इसमें सबसे ज्यादा दुखद घटना यह है कि कई बार चर्चा में यह आता रहा है कि हमारे देश के जो मिग लड़ाकू विमान हैं, हैलिकॉप्टर्स हैं, वे काफी पुराने तथा खराब हो चुके हैं, जिसके कारण लगातार लोग मारे जाते हैं। लेकिन उन्हें हमारे देश में शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक आतंकवादी आर्मी हैडक्वार्टर में घुसकर सैनिकों को मारते रहेंगे। हमारे देश के सामने यह एक गंभीर सवाल है। इस देश में शहीदों के आश्रितों को दो तरह का मुआवजा दिया जाता है। हरियाणा या अन्य कुछ जगहों पर शहीदों के आश्रितों को कुछ ज्यादा पैसे दिये जाते हैं। परंतु बिहार में शहीदों के आश्रितों जीरो पैसा दिया जाता है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि देश भर में जो सैनिक शहीद होते हैं, उन शहीदों के आश्रितों को एक मुकम्मल राशि दी जाए। चाहे कोई सैनिक हैलिकॉप्टर से मरे, चाहे वह मिग विमान से मरे, चाहे किसी सैनिक से मरे, इन सबको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। चाहे वह बी.एस.एफ. का हो या

पुलिस का आदमी हो, उन सबको शहीद का दर्जा दिया जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएं तथा उन्हें एक मुकम्मल राशि दी जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत चौटाला एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राजेश रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे लोक महत्व के आति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर, नीमच, जावरा से रतलाम की ओर जाने वाले रेल मार्ग पर क्यू ट्रैक का निर्माण हुआ है। क्यू ट्रैक के निर्माण के पश्चात इसमें सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। यह क्यू ट्रैक इंदौर से अजमेर के बीच रेल परिचालन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड की अनुमति के साथ ही इस ट्रैक पर इंदौर से जावरा, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर तथा उदयपुर तक यात्री गाड़ियों का संचालन प्रारम्भ होना है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि तत्काल रेलवे बोर्ड के माध्यम से इस क्यू ट्रैक पर यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति जारी करें, ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को यात्री गाड़ियों की सुविधाएं प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुधीर गुप्ता द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री केसिनेनी श्रीनिवास (विजयवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश के मेरे विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत समय से लंबित एक समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विसन्नापेटा मंडल में नायकपोड नामक एक समुदाय है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 400 परिवार इस समुदाय से हैं। यह समुदाय राज्य में और कहीं नहीं है। पहले अधिकारी उन्हें संयुक्त आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले से जाति और आय प्रमाण पत्र देते थे। लेकिन अब राज्य के विभाजन के बाद यह समुदाय एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। मैं इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिख चुका हूं। हमारी राज्य सरकार ने 12 मई, 1997 को समाज कल्याण विभाग के जी.ओ.एम. क्रमांक 58 में आदेश जारी कर दिया है कि वे अनुसूचित जनजाति से हैं। अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समुदाय को आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री केसिनेनी श्रीनिवास द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन टैक्सटाइल पार्क बनाने की आधिकतर मान्यताएं पश्चिम महाराष्ट्र में दी गई हैं, जो वहां केन्द्र सरकार द्वारा खोले गये हैं। उनमें से आधे से ज्यादा रद्द हो गये हैं। टैक्सटाइल पार्क जिस उद्देश्य के लिए खोले गये थे, वे उद्देश्य वहां पूरे नहीं किये गये। ये उद्देश्य वर्तमान टैक्सटाइल पार्क खोले जाने के मानकों को कभी पूरे नहीं करते। टैक्सटाइल पार्क में कपास खरीदकर रेडिमेड कपड़ा बनाकर उसे मार्केट तक लेकर जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिया जा

सके।

मेरा इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि जहां पर कपास की फसल ज्यादा होती है, वहीं पर टैक्सटाइल पार्क स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाए। इससे किसानों में कपास उत्पादन के प्रति उत्साह बढ़ेगा तथा किसानों के द्वारा उत्पादित कपास का आधिक मूल्य मिलेगा। मेरे बुलढाणा क्षेत्र में कपास की खेती ज्यादा होती है।...(व्यवधान) टेक्सटाइल पार्क बुलढाणा जिले में भी खोला जाना चाहिए।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से ऐसा अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र और श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर - उपस्थित नहीं।

श्री जैदेव गल्ला।

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'गति' सभी मंत्रालयों और विशेष रूप से भारतीय रेलवे का नवीनतम मंत्र है। रेलवे देश में अधिक से अधिक उच्च गति वाले रेल गलियारों के लिए उत्साहपूर्वक काम कर रहा है और मैसूर-बेंगलुरु-चेन्नई एक ऐसा गलियारा है जिसके लिए जर्मनी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। यह स्वागत योग्य है कि यह देश के दक्षिणी भाग में प्रस्तावित पहला उच्च गति गलियारा है। मुझे यह बताया गया है कि जर्मनी के परिवहन और डिजिटल अवसंरचना मंत्रालय द्वारा अब से कुछ महीनों बाद अध्ययन आरम्भ किया जाएगा।... (*व्यवधान*)

महोदया, अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है और इसका काम पहले ही शुरू हो चुका

है। कृष्णा नदी के नीले रंग औरचरागाह परिदृश्य के हरे रंग की विषयवस्तु पर बनी राजधानी 217 वर्ग कि.मी क्षेत्र में गुंटूर जिले में स्थित है जबकि महानगरीय राजधानी क्षेत्र 7,420 वर्ग कि.मी. में फैला है, जिसमें गुंटूर और कृष्णा दोनों जिलों के बड़े हिस्से शामिल हैं। यह देश में सबसे आधुनिक और जन राजधानी बनने जा रही है। ... (*व्यवधान*)

यह बताया गया कि माननीय रेल मंत्री ने व्यवहार्यता अध्ययन के लिए जर्मनी सरकार से विजयवाड़ा को इस गलियारे में शामिल करने का अनुरोध किया है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कोई भी किसी भी राज्य की राजधानी को नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि वह उस राज्य की प्रत्येक गतिविधि का प्रमुख केंद्र बन जाती है। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी होने के नाते अमरावती को हाई स्पीड कॉरिडोर में शामिल नहीं करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।... (*व्यवधान*)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे जर्मनी सरकार से अनुरोध करें कि वे अमरावती को भी उच्च गति वाले रेल गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन में शामिल करें और गलियारे का नाम मैसूर-बेंगलुरु-चेन्नई-अमरावती-विजयवाड़ा उच्च गति वाले रेल गलियारा रखा जाए। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जैदेव गल्ला द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति है।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज - उपस्थित नहीं ।

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा - उपस्थित नहीं ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र में पिंपरी चिंचवड से पुणे तक मेट्रो ट्रैक को वर्ष 2008 में प्राथमिक तौर पर मंजूरी मिली थी, लेकिन आज तक वास्तविक रूप से मेट्रो का कोई निर्णय नहीं हुआ है और वह काम वैसा का वैसा ही रहा है।...(व्यवधान)

इस मेट्रो ट्रैक को पिंपरी चिंचवड से पुणे तक मंजूरी मिली है, जबकि पिंपरी चिंचवड तक 15 स्टेशन आते हैं।...(व्यवधान) केवल 7.5 किलोमीटर तक ही मेट्रो ट्रेन पिंपरी चिंचवड तक चलाने को मंजूरी मिली है।...(व्यवधान) पिंपरी चिंचवड शहर की आबादी 22 लाख है।...(व्यवधान) पिंपरी चिंचवड के करीब चाकन, देहु रोड, आकुर्डी और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिलनी चाहिए।...(व्यवधान)

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से माँग करता हूँ कि इस मेट्रो मार्ग को पिंपरी के अम्बेडकर चौक तक मंजूरी मिली है।...(व्यवधान) अगर इसे बढ़ाकर भक्ति-शक्ति चौक निगडी तक मंजूरी मिले तो इससे इन सभी को राहत मिलेगी और सभी को सुविधा प्राप्त होगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैंरो प्रसाद मिश्र को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो.चिंतामणि मालवीय (उज्जैन) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।...(व्यवधान) मेरा आज बहुत ही संवेदनशील विषय को सदन के सामने रखना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

महोदया, देश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में जहाँ वह 300 रूपए मिलती है, हरियाणा में एक हजार रूपये है, दिल्ली में एक हजार रूपये से लेकर पन्द्रह सौ रूपये तक है।...(व्यवधान) देश में

यह विसंगति है।...(व्यवधान) वृद्धजनों, विधवा और दिव्यांग जनों को मिलने वाली पेंशन की राशि में देश में बहुत असमानता है।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) इस विसंगति को दूर करने के लिए इसे डिजिटल इन्डिया से जोड़ें और पूरे देश में एक जैसी पेंशन मिले, क्योंकि उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत समस्या आती है।...(व्यवधान) जैसे ये तीनों वर्ग हैं, चाहे वह विधवा हो, चाहे वह वृद्ध हो या हमारे दिव्यांग बन्धु हों, इन सभी को रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत परेशानी आती है।...(व्यवधान) उनका एकीकृत रजिस्ट्रेशन हो, एक ही स्थान पर उनका सर्टिफिकेशन हो जाये।...(व्यवधान) डिजिटल इंडिया में जो उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और बाकी भी कार्र्वाई होती है, वह एक स्थान पर हो जाए, ताकि उनको कम से कम परेशानी हो। ...(व्यवधान) महोदया, मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक रूप से कम से कम एक हजार रूपए विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिले। ...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री लखन लाल साहू, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री शरद त्रिपाठी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री आलोक संजर को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय कम्युनिकेशन मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत यद्यपि अमेरिका और चीन के पश्चात डिजिटल क्रांति में तीसरे स्थान पर है। ...(व्यवधान) शहरों की अपेक्षा ग्रामीण भारत में इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के लिए अभी और नेटवर्क खड़ा करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) इसके साथ ही विश्व स्तर पर डिजिटल सेवाओं का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इंटरनेट की स्पीड अपेक्षा के अनुरूप बढ़ानी है। ...(व्यवधान) मौजूदा दौर में जहां शहरी इंटरनेट उपभोक्ताओं का प्रतिशत 67 प्रतिशत है, वहीं देश में 11 करोड़ 19 लाख ग्रामीण इंटरनेट से जुडे हैं। ...(व्यवधान) भारत अपनी डिजिटल क्रांति के माध्यम से न केवल समय की बचत व अन्य सुविधाओं का विस्तार करने मे सफल रहा है, वहीं

भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है। ...(व्यवधान) देश में राशन कार्ड व एलपीजी के ऑनलाइन सिस्टम से करोड़ों फर्जी उपभोक्ताओं का पर्दाफाश हुआ है। ...(व्यवधान)

मैं मांग करता हूं कि दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही 150 से आधिक सेवाओं का इंटरनेट के माध्यम से बेहतरीन फायदा उठाने के लिए सूचना तंत्र को और मजबूत किया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) हमारे यहां सड़कों का चौड़ाकरण होता है, फोर लेन सड़कें बनती हैं। ...(व्यवधान) बहुत ही मेहनत के साथ पेड़ तैयार किए जाते हैं, लेकिन 50-50 साल पुराने पेड़ों को काट दिया जाता है। ...(व्यवधान) परिवहन मंत्रालय कंपनियों के साथ एमओयू करता है कि जितने पेड़ काटेंगे, उसके बराबर पेड़ लगाएंगे। ...(व्यवधान) मैंने राजस्थान में, मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे लोक सभा क्षेत्र में सर्वे कराया। ...(व्यवधान) कंपनियां फामेरलिटीज पूरी करती हैं, पेड़ नहीं लगाती हैं। ...(व्यवधान)

मेरा माननीय पर्यावरण मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री से निवेदन है कि उन पेड़ों को काटने की अपेक्षा, जैसे कई देशों में एक तकनीकी प्रयोग की जाती है कि पेड़ को उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है। ...(व्यवधान) इन कंपनियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि वे ठीक ढंग से पेड़ लगाएं और उनकी केयर करें, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो। ...(व्यवधान) यही मेरा निवेदन है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आलोक संजर, और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री अर्जुन सेठी *पीठासीन हुए*)

नियम 377[10] के अधीन मामले

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। प्रथा के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से विषय का पाठ सौंप सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

[10] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) देश में वेक्टर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाने के लिए मच्छर खाने वाली मछलियों और मेंढकों का पालन और उपयोग किए जाने की आवश्यकता (हिन्दी)

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : देश में मच्छर जनित बीमारियों यथा डेंगू, चिकुनगुनिया, इंसेफेलाइटिस, मलेरिया आदि का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बाजार में मच्छरों को मारने या भगाने के अनेक उत्पाद हैं लेकिन मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। मच्छरों से निपटने के लिए दी जाने वाली दवाएं उल्टे उन मच्छरों को ही ताकतवर बना रही है। इन बीमारियों से बचने के लिए मच्छरों की पैदावार को नियंत्रित किया जाना जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मच्छरों की वृद्धि दर को रोकने के लिए सरकार को मेंढकों की आबादी बढ़ाने के उपायों पर विचार करना होगा। दरअसल मच्छरों का लार्वा मेंढकों का प्रिय भोजन है। सिर्फ 50 मेंढक एक एकड़ धान की खेती को सभी प्रकार के कीटों से बचा सकते हैं। एक मेंढक अपने जीवनकाल में 15 से 16 लाख मच्छरों को नष्ट कर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ दशक पहले तक मेंढकों की टांगों का निर्यात यूरोपीय देशों को होता था, जिसे 1972 में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन तब तक मेंढकों की संख्या में भारी गिरावट आ चुकी थी। जलाशयों में मेंढकों की संख्या घटी और मच्छर कई गुना बढ़ गये तथा परिणामतः रोगवाहक मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया तथा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां भी पूरे भारत में तेजी से बढ़ने लगीं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मच्छर जनित बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए मेंढकों तथा मच्छर खाने वाली मछलियों की फार्मिंग कर उन्हें नहरों, तालाबों, जलाशयों, नाले-नालियों तथा पानी के स्रोतों में छोड़ने की परियोजना प्रारंभ की जानी चाहिए। साथ ही मेंढकों की टांगों के अवैध निर्यात पर रोक लगायी जानी चाहिए।

(दो) राजस्थान के करोली में मदनमोहन मंदिर को कृष्ण सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता

डॉ मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर के करौली जिला मुख्यालय पर स्थित श्री मदनमोहन मंदिर की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ।

श्री मदनमोहन मंदिर कृष्ण भक्तों में श्री गोविन्द देव जी मंदिर, जयपुर के समकक्ष ही श्रद्धेय एवं पूजनीय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री गोविन्द देव जी मंदिर, जयपुर तथा श्री गोपीनाथ जी मंदिर एवं श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली के दर्शन एक ही दिन करने पर श्री कृष्ण भगवान की सम्पूर्ण छवि के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं।

करौली के राजा श्री गोपाल सिंह जी, श्री मदनमोहन जी को जयपुर के महाराज से मांग कर करौली लेकर आये तथा राजमहल में प्रतिमा की स्थापना कर विशाल मंदिर क्षेत्र चिन्हित करवा दिया। आज भी बड़ी संख्या में श्री चैतन महाप्रभु को मानने वाले सम्प्रदाय के भक्त बंगाल, उड़ीसा तथा इस्कॉन आन्दोलन से जुड़े श्री कृष्ण के हज़ारों अनुयायी दूर-दूर से राजस्थान आकर इन तीनों मंदिरों के दर्शन एक ही दिन में कर अपने आपको धन्य समझते हैं।

भारत सरकार जब धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री कृष्ण सर्किट का निर्माण कर रही है, तब इस पूर्व निर्मित धार्मिक सर्किट से श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को अलग करना उचित नहीं है। यदि श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को इस सर्किट में शामिल किया जाता है तो इससे जिले में स्थित अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ जैसे श्री महावीर जी, श्री कैला देवी जी, मेहन्दीपुर बालाजी का भी विकास हो सकेगा। जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी।

अतः मेरा केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी से आग्रह है कि कृष्ण सर्किट में श्री मदनमोहन जी मंदिर करौली को भी जोड़ा जाए। सरकार का यह कदम क्षेत्र के स्थानीय तथा बाहर से आने वाले लाखों कृष्ण भक्तों के लिए बहुत हितकर होगा। इससे इस क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

(तीन) बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के बखरी गांव में चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : नियम 377 के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले के पताही प्रखंड के बखरी ग्राम में राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व प्राप्त हो चुकी है और भूमि से लेकर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मैंने भी अपने सांसद ऐच्छिक कोष से एक कमरे का निर्माण कराया है। परन्तु उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र को अभी तक संचालित नहीं किया जा सका है। क्योंकि इसके लिए आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति नहीं हुई है। इस संबंध में चिकित्साधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति करने के लिए प्रस्ताव भी कई वर्ष पूर्व दिया जा चुका है परन्तु अभी तक चिकित्सक एवं आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति नहीं होना राज्य सरकार का स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं कर्मियों की कमी से इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जबकि यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और कई वषों से कई विचित्र प्रकार की बीमारियों का प्रकोप इस क्षेत्र के आस-पास देखा गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनता के व्यापक हित में मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर अंतर्गत पूर्वी चम्पारण जिले के पताही प्रखंड के बखरी ग्राम में आतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कराकर इसे जल्द संचालित कराने की कृपा करें।

(अनुवाद)

(चार) देश में अंगदान को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): भारत अंग दाताओं की भारी कमी से जूझ रहा है। अंगों की अनुपलब्धता के कारण प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोग काल कवलित हो जाते हैं । प्रत्येक वर्ष लगभग 2.5-3 लाख लोगों को यकृत और गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है और अंगों की आवश्यकता का केवल 2-3% भाग ही पूरा हो पाता है। भारत में केवल 0.01% लोग अपने अंगदान करने का संकल्प लेते हैं। भारत में 1.5 करोड़ नेत्रहीन लोगों में से, 25% कॉर्निया संबंधी नेत्रहीनता से पीड़ित हैं जिसे प्रायः कॉर्निया प्रत्यारोपण द्वारा ठीक किया जा सकता है। प्रति वर्ष 1 लाख कॉर्निया की आवश्यकता होती है, पर केवल 10,000 कॉर्निया ही प्राप्त किए जाते हैं जिनमें से केवल 30% का ही उपयोग किया जाता है। शेष कॉर्निया बेकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ठीक से निकाला और संरक्षित नहीं किया जाता है। भारत के पास अंगों के परिवहन के लिए उचित संभार तंत्र नहीं है। लंबी दूरी तक ले जाए जाने वाले अंग ठीक से संरक्षित न होने पर प्रत्यारोपण के योग्य नहीं रह जाते । अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने और उससे जुड़े मिथकों को दूर करने की आवश्यकता है। अंगों को एकत्र करने और संरक्षित करने के लिए और अधिक अंग बैंक और संभार तंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

(हिन्दी)

(पांच) महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव द्वारा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के सचिव को पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु केंद्र की ओर से वर्ष 2001-2002 से वर्ष 2013-2014 तक के बीच की अवधि की बकाया 1392.61 करोड़ रूपए की रिम्बर्समेंट राशि को जारी किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं और उक्त राशि को जारी किए जाने हेतु 29 रिमाईंडर लेटर भी प्रेषित किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह बकाया राशि जारी नहीं की गयी है। राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

अतः मेरा माननीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि वह महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े वर्ग के योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति हेतु बकाया केंद्रीय धन का आवंटन शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(छह) झारखंड के पारा शिक्षकों की सेवा को नियमित किए जाने तथा राज्य में बी.आर.पी. और सी.आर.पी. शिक्षकों सहित उनका मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : देश में कुल 15 लाख 22 हजार 346 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें झारखंड की संख्या 48,528 हैं। समूचे देश के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। 52 प्रतिशत पाँचवी कक्षा के छात्र सही से दूसरी कक्षा की हिन्दी की किताब तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। 31 मार्च, 2016 को देश में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों 51,81,791 में से (17.51 प्रतिशत) 9,07,585 पद रिक्त हैं। वहीं झारखण्ड में स्वीकृत 1,92,200 पदों में (38.39 प्रतिशत) 73,793 पद रिक्त हैं। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इकलौते शिक्षक वाले स्कूल न हों। वहीं माध्यमिक स्तर पर कुल स्वीकृत शिक्षकों के 6,44,826 में से (15.91 प्रतिशत) 102575 पद देश के स्कूलों में रिक्त हैं। झारखंड में माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत 22604 पदों में से (71.73 प्रतिशत) 16213 पद रिक्त हैं। देश में हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई शिक्षक नहीं है यानि बिना शिक्षकों के विद्यालय जिसका सरकार ने कभी मूल्यांकन भी नहीं किया है। एक शिक्षक के सहारे चल रहे सरकारी विद्यालयों की संख्या भी एक लाख से आधिक है। झारखंड के 7391 विद्यालयों को केवल एक शिक्षक चला रहे हैं।

स्कूलों के अध्यापकों को पढ़ाने के अलावा ढेर सारे दूसरे काम करने पड़ते हैं। अध्यापकों को चुनाव के समय पढ़ाने-लिखाने का काम छोड़कर चुनावी ड्यूटी निभानी पड़ती है। ग्रामीण स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों को तो जनगणना सहित कई तरह के सर्वे आदि में भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा उन्हें पंचायत के भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आजादी के बाद कुछ समय तक ऐसा करना शायद जरूरी था, क्योंकि उस समय जिस तादाद में पढ़े-लिखे लोगों की जरूरत थी, उतने उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब यह मजबूरी नहीं है, इस परम्परा को समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरे द्वारा लोक सभा के मानसून सत्र में दिनांक 20 जुलाई, 2016 को झारखंड राज्य में

शिक्षकों एवं स्कूलों की कमी तथा पारा शिक्षकों की मांगों का विषय शून्यकाल में उठाया था। झारखंड राज्य में पारा शिक्षक 14-15 वर्षों से काम कर रहे हैं। झारखंड राज्य में लगभग 72000 पारा शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड में पारा शिक्षकों को 10,000 रूपये प्रतिमाह से भी कम वेतन मिलता है। झारखंड के पारा शिक्षकों द्वारा कई महीनों से मानदेय बढ़ाने, नियमित वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान करने और स्थायी नियुक्तियों में समायोजन की मांगों को लेकर भूख हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, आनिश्चितकालीन हड़ताल होती रहती है, जिससे राज्य में बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। समय पर कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। केंद्र सरकार प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा आभियान (एस.एस.ए.) और माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान (आर.एम.एस.ए.) के जरिए समुचित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए आतिरिक्त शिक्षकों हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती हैं। इसी राशि से झारखंड में पारा शिक्षकों को वेतन दिया जाता है। केंद्र सरकार की योजना होने के कारण राज्य सरकार द्वारा पारा शिक्षकों के मानदेय एवं अन्य मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता है।

मेरी भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मांग है कि पारा शिक्षकों सहित बी.आर.पी.-सी.आर.पी. शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण सम्मानजनक और शिक्षक पद की गरिमा के अनुरूप हो। साथ ही समय पर भुगतान हो। झारखण्ड में लगभग 72000 पारा शिक्षक हैं, वहीं शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 90000 से आधिक है। इसलिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नियमों में छूट देकर या सरल कर सभी योग्य पात्रता वाले प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का समायोजन किया जाए, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जा सके और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता की कमी को दूर किया जा सके। झारखंड के दयनीय शिक्षा परिदृश्य में आविलंब सुधार हेतु केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय शीघ्रातिशीघ्र पहल करें।

(सात) जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों का मॉडल रेलवे स्टेशनों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगाँव) : रेलवे हर साल देश में रेलवे स्टेशनों का विकास करने के लिए और आम जनता को अच्छी सुविधा देने के लिए कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा करती है। लेकिन उन स्टेशनों के विकास करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते हैं। इस वजह से सालों से मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा के बाद भी उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र जलगाँव में भी पाँच, छः सालों से कुछ रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने की घोषणा की गयी है जैसे कि जलगांव, चालीसगांव, धारणगांव, पचारो और अलमनेर स्टेशनों का विकास करने की बात थी लेकिन अभी तक इन स्टेशनों का प्लान तक नहीं बन पा रहा है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान इस कार्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि वे व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर ध्यान दें और इन सभी रेलवे स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने की दिशा में तत्काल संबंधित आधिकारियों को दिशा-निर्देश दें और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में मेरी मदद करें।

(आठ) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की कोटा तहसील में शिवतराई गांव में प्रशिक्षु तीरंदाजों को आवश्यक तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर अंतर्गत कोटा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य ग्राम शिव तराई से करीब 65 लोगों को तीरंदाजी में राजकीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में 35-40 लड़के एवं लड़कियाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। संसाधन के अभाव में प्रशिक्षणार्थियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण संबंधी साधन मुहैया कराया जाता है तो शिवतराई (कोटा क्षेत्र) के तीरंदाज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर पाने में सक्षम होंगे।

मेरा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी एवं जनजातीय कार्य मंत्री जी से आग्रह है कि उक्त क्षेत्र को संज्ञान में लेकर दोनों मंत्रालय द्वारा ग्राम शिवतराई के प्रतिभावान भावी खिलाड़ियों के लिए आतिशीघ्र आवश्यक संसाधन मुहैया कराये जाये जो राष्ट्रहित में होगा।

(नौ) बिहार के बक्सर में 'राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद शोध एवं अध्ययन केन्द्र' खोले जाने तथा राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर जो प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर के रूप में सुविख्यात पुराणों में वर्णित "व्याघ्रसर " महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। यह साधू-सन्तों एवं ऋषि-मुनियों की साधना केन्द्र रही है। मर्यादा पुरूषोत्तम राम के बाल्य काल की यह "शिक्षा-दीक्षा भूमि " (प्रशिक्षण स्थल) के रूप में सुप्रसिद्ध है, जहां महर्षि विश्वामित्र के सान्निध्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर ताड़िका सुर का वध भगवान राम के हाथों त्रेता युग में हुआ था।

अतएव केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अपने प्राचीन शास्त्र , वेद, ग्रन्थों आदि के शोध एवं अध्ययन हेतु "राष्ट्रीय सांस्कृतिक वेद शोध एवं अध्ययन केन्द्र " की स्थापना की जाये। साथ ही "राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान " की शाखा, जो सभी राज्यों में होता है बिहार में इसकी शाखा नहीं है। अतएव बिहार राज्य के बक्सर में, जो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यहाँ "राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा संस्थान " का एक केन्द्र भी खोला जाये। इसके साथ-साथ "काशी हिन्दू विश्वविद्यालय " का एक उपकेन्द्र भी यहाँ स्वीकृत किया जाये, जिससे हजारों छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु सुविधा प्राप्त हो सके।

(दस) देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री हरीश मीना (दौसा) : देश के युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, बेरोज़गारी की दर लगातार नई ऊंचाई को छूती रही है। अगर यही स्थिति रही तो 65 प्रतिशत युवाओं के देश में यह समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले सकती है।

अभी हाल ही में हमारे देश में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने वर्ल्ड बैंक द्वारा किए गए एक अनुसंधान का संदर्भ देते हुए बताया कि भारत के स्वचालन से 69 प्रतिशत नौकरियों का खतरा है, जिसके लिए सरकार को अभी से कदम उठाने चाहिए।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) की 2014 की रिपोर्ट के अनुसार कृषि क्षेत्र लगभग 53 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है। जबकि सरकारी नौकरी केवल 2 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र लगभग 34 प्रतिशत व बाकी क्षेत्र 9 प्रतिशत व्यवसाय रोज़गार प्रदान करते हैं।

कृषि जो 53 प्रतिशत रोज़गार प्रदान करता है उस रोजगार में कब बे-मौसम बारिश, ओले या सूखा पड़ जाये कोई नहीं जानता। केवल कृषि पर निर्भर रहना मुश्किल होता जा रहा है। हर वर्ष लाखों किसान आत्महत्या या पलायन करते हैं। कृषि की इस स्थिति को देखकर युवा, कृषि क्षेत्र को रोज़गार का साधन बनाने में संकोच करते हैं। सरकार को कृषि पर जोर देना चाहिए जिससे युवा कृषि की तरफ अग्रसर हो।

देश में औद्योगिक विकास भी जरूरी है, औद्योगिक विकास से हम विकसित देशों में शामिल हो सकते हैं। सरकारों को न केवल स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना होगा बल्कि युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि सरकार उन्हें रोज़गार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी नौकरी एक व्यवस्थित जीवन प्रदान करती है इसीलिए ज्यादातर युवा इसके पीछे है।

देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन पुरूषों के मुकाबले महिलाएं काफी पीछे हैं। ऐसे में उनको आगे करने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। ताकि वो भी रोजगार पाकर बेहतर समाज और विकसित देश के निर्माण में मजबूती के साथ हाथ बटा सकें।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे युवाओं को बेहतर रोजगार दिलाने के लिए अधिक से अधिक मौके उपलब्ध करवाएँ

(ग्यारह) मात्स्यिकी तथा मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय निषाद (मुज़फ्फरपुर) : आजादी के 68 वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन देश के विभिन्न भागों में परम्परागत रूप से मछली मारने वाले लगभग पांच करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मछुआरा समाज आज भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा है। साथ ही आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर है। मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने एवं फिशरमैन की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में मत्स्य-पालन एक एलाइड डिपार्टमेंट है। बावजूद इसके मछुआरा समाज उन लाभों और सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसका फायदा आम किसान को होता है। ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा के समय अभी एग्रीकल्चरल सेक्टर के अलावा दूसरे फार्म होल्डर, पोल्ट्री फार्म आदि का बैंक लोन माफ होता है लेकिन दुर्भाग्यवश मछुआरा समाज यहां भी उपेक्षित होता रहा है।

मैं सरकार का ध्यान मछुआरा समाज की देयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करना चाहूंगा कि मछुआरा वर्ग के सर्वांगीण विकास के मद्देनज़र भारत सरकार में मत्स्य एवं मत्स्य कल्याण का एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए साथ ही उनके आर्थिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की अति आवश्यकता है।

[अनुवाद]

(बारह) केरल के बलरामपुरम के शिल्पकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनंतपुरम): केरल का बलरामपुरम शहर वहां बनने वाले गुणवत्तापूर्ण कपड़ा और शिल्प के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह स्थानीय समुदाय के लिए और व्यक्तिगत रूप से, संसद में उनके प्रतिनिधि के रूप में मेरे लिए, गर्व का बात है।

तथापि , समुदाय को एक ऐसे व्यापक वित्तीय पैकेज की आवश्यकता है, जिससे ऋण के बोझ को कम करने के लिए ऋण माफी की जाए, बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाए, मेगा क्लस्टर पहल में बलरामपुरम को शामिल करके कारीगरों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए । इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली तत्काल वित्तीय और तकनीकी सहायता तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता से प्रशिक्षण के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्यमों को मिलने वाला अपार संभावित लाभ, यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कारीगरों की अगली पीढ़ी अपनी आजीविका में सुधार कर सके।

अतः, मैं सरकार से तत्काल ऋण माफी सहायता प्रदान करने और बलरामपुरम को मेगा क्लस्टर योजना के हिस्से के रूप में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

(तेरह) प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकरा) : देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बनी हुई है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि इस अत्यधिक प्रदूषण के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन असंभव हो गया है। प्रदूषण अस्थमा, फुफ्फुसीय रोग, आंख और कान के अत्यधिक संक्रमण जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है और कहा जाता है कि इससे कैंसर भी हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रदूषण के इस उच्च स्तर के गंभीर परिणामों के प्रति सचेत किया है। हाल ही में केरल के कोच्चि और कोझिकोड जैसे शहरों के साथ-साथ देश के कई प्रमुख शहरों में भी प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है। मैं केंद्र सरकार से इस समस्या का समाधान युद्धस्तर पर करने और पर्यावरण को बचाने के लिए एक रणनीति विकसित करने के लिए राज्य सरकारों सहित हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) पश्चिम बंगाल के आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खानकुल में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग) : भारतीय संस्कृति की नींव संस्कृत भाषा पर आधारित है। एक गलत धारणा यह है कि यह भाषा केवल मंदिरों में मंत्रोच्चार के लिए प्रयोग की जाती है जो 5% से भी कम है। संस्कृत साहित्य का 95% से अधिक का संबंध दर्शन शास्त्र, कानून, विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, ध्वनि विज्ञान आदि से है। संस्कृत प्राचीन भारत में हमारे वैज्ञानिकों की भाषा थी।

राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक सभी इस भाषा से प्रेरित हुए। राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान मेरे आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खानकुल में है, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि यहां एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए।

(पंद्रह) देश में बढ़ते वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर हमारे समय की सबसे अधिक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदाओं में से एक है। हम वायु-आपात स्थिति से पीड़ित हैं। इन कार्यों को अल्पावधिक लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता।

चीन जैसे देश में इसी तरह की समस्याएं हैं, और उन्होंने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। चीन ने वायु प्रदूषण निगरानी की एक व्यापक, क्षेत्रीय रूप से समन्वित प्रणाली स्थापित की है, अपने अधिकांश बिजली संयंत्रों में उच्च तकनीक वाले प्रदूषण उपशमन उपकरण स्थापित किए हैं, साथ ही साथ बड़े शहरों में कार के स्वामित्व को प्रतिबंधित करने के लिए तैयार किए गए साधन भी हैं। उसने 900 से अधिक शहरों में 1,500 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का एक नेटवर्क भी विकसित किया है (भारत में 23 शहरों को कवर करने वाले केवल 39 ऐसे स्टेशन हैं)। चीन के 95% बिजली संयंत्रों में प्रदूषण फिल्टर लगे होते हैं और भारत में इनकी संख्या 10% है।

मैं सरकार से समयबद्ध योजनाएं, व्यापक योजनाएं बनाने तथा स्वच्छ वायु तक पहुंच के मौलिक मानव अधिकार को सुनिश्चित करने में निवेश करने का अनुरोध करता हूँ ।

(सोलह) सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के लिए लागू वन भूमि से दोगुनी मात्रा में वनरोपण के बदले राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वन भूमि हस्तांतरित करने की अनुमति देने की आवश्यकता

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान (सम्बलपुर) : केन्द्र सरकार ने केन्द्र सरकार के उपक्रमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि को गैर-वनीय उद्देश्यों हेतु परिवर्तित करने के लिए अवक्रमित वन भूमि के दोगुने क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण की अनुमति दी है। तथापि , राज्य सरकार के उपक्रमों की परियोजना के लिए यह अनुमति नहीं दी गई है। ओ.एम.सी. को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए वनस्पति रहित गैर वन भूमि की पहचान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे उसके खनन कार्य प्रभावित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अनुमत सीमा से दोगुनी मात्रा में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए क्षतिपूरक वनरोपण की अनुमति देने की बात कही गई थी।

(सत्रह) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के कारण प्रभावित नावा और शेवा ग्रामों के किसानों को पुनर्वास पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

(हिन्दी)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : मैं सरकार का ध्यान जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार का एक बहुत ही लाभदायक पोर्ट है।

सिड्को ने नावा सेवा गाँव की जमीन, जे.एन.पी.टी. बनाने हेतु आधिग्रहण की और गाँव वासियों को विस्थापित करते समय यह वादा किया गया कि गाँव वासियों को 23 हैक्टेयर जमीन ग्राम विकास के लिए दी जाएगी और स्थानीय किसानों को यह भी वादा किया गया कि आधिग्रहण की गई कुल जमीन का 12.5 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय को लौटाया जायेगा।

माननीय नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् उनका पहला कार्यक्रम जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में हुआ था और इस कार्यक्रम में पांच स्थानीय किसानों को जमीन वापसी का पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था लेकिन अब जिले के कलेक्टर का कहना है कि यह पत्र गलत थे और अब स्थानीय किसानों को किसी तरह की भी जमीन नहीं दी जा रही है, जिसके कारण परियोजना से प्रभावित लोग और स्थानीय किसान अपने आधिकारों हेतु आन्दोलन कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से उक्त विषयों पर ठोस कदम उठाने एवं किये गये वादे के मुताबिक नवा सेवा इन दोनों गाँवों को 23 हैक्टेयर व 12.5 प्रतिशत जमीन विस्थापित किसानों को तुरन्त दिए जाने की माँग करता हूँ।

(अनुवाद)

(अठारह) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी (खम्माम) : कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना- 1995 के अंतर्गत आने वाले सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों एवं संगठनों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले 17 वर्षों से ई.पी.एफ. पेंशन में संशोधन न होने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वास्तव में, पेंशन मूल रूप से एक सामाजिक सुरक्षा है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक जीने के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए है क्योंकि वे अब आय अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं। जी.पी.एफ. के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने के समय में अपने पिछले मूल वेतन + डी.ए. लाभों के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिल रही है।

सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत उनकी सेवा के आधार पर 16/11/1995 से रु. 100/- से रु. 1800/- प्रतिमाह की मामूली पेंशन प्रदान की जाती रही है तथा पिछले 17 वर्षों से इसमें संशोधन नहीं किया गया है।

ई.पी.एफ. अधिकारी 16.11.1995 से सेवा पर विचार कर रहे हैं और पिछली सेवा को नज़रअंदाज करके पेंशन की गणना कर रहे हैं। जिसके कारण ई.पी.एस. 1995 पेंशनधारकों को अधिकतम 5250 रुपये प्रतिमाह के मुकाबले 50% पेंशन राशि का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार इतनी दयालु है कि वृद्धों को लगभग 500 रुपये प्रतिमाह तथा स्वतंत्रता सेनानियों व अन्य को भी 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक पेंशन दे रही है, जबकि 30-40 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को

उनकी सेवा के आधार पर केवल 100 रुपये से 2,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है। इसके कारण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों में ई.पी.एस. अधिनियम, 1995 के विरुद्ध अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

इससे पहले ई.पी.एफ. की समिति ने वर्ष 1995 में अधिकतम पेंशन 3250/- रुपये तय की थी। पिछले 17 वर्षों से इसमें संशोधन नहीं किया गया है तथा मांग है कि इसे प्रत्येक 5 साल में संशोधित किया जाए तथा न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की जाए तथा अधिकतम पेंशन की कोई सीमा न रखी जाए।

जब केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन का संशोधन किया जाता है,तब पेंशन में संशोधन और मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा ई.पी.एस., 1995 के सभी कर्मचारियों को 2,00,000/- रुपये की चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की की जानी होती है। बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशन अंशदान को भी 20,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया जाना होता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मानवीय आधार पर ई.पी.एस. 1995 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के मुद्दे पर विचार करे।

(उन्नीस) लक्षद्वीप में प्रस्तावित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप) : स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लक्षद्वीप प्रशासन ने आई.जी.एच. कवारत्ती, जी.एच. मिनिकॉय सी.एच.सी. अंद्रोत्त और सी.एच.सी. अमिनी में विशेष सेवाओं को आउटसोर्स करने का प्रस्ताव दिया है। राजकोष को वित्तीय टिप्पणी के साथ विस्तृत प्रस्ताव मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए, अनुरोध है कि उक्त स्वास्थ्य सेवा इकाइयों संबंधी पी.पी.पी. अनुबंध के लिए यू.टी.एल. प्रशासन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

(बीस) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दक्षिण बिहार के केन्द्रीय विद्यालय के बी.ए., बी.एड./ बी.एस.सी., बी.एड. (चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम) को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता (हिन्दी)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : मैं दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय गया के शिक्षा विभाग के बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्याक्रम) में पढ़ रहे (सत्र 2014-17 तथा 2015-18) विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित विषय के बारे में बताना चाहता हूँ।

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस विश्वविद्यालय में पाठ्याक्रम शुरू किया गया जिसके तहत बहुत सारे विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्याक्रमों में नामांकन करवाया, जिसमें बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्याक्रम) में भी बहुत विद्यार्थियों ने नामांकन करवाया और पढ़ाई के काफी दिनों बाद विद्यार्थियों को ज्ञात हुआ कि बी.ए.-बी.एड. और बी.एस.सी.-बी.एड. (4 वर्षीय एकीकृत पाठ्याक्रम) को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता नहीं मिली है, जिसके फलस्वरूप इस कोर्स में पढ़ने वाले करीब हज़ारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है तथा विश्वविद्यालय से इस संबंध में सिर्फ मौखिक आश्वासन ही मिला है। ऐसी परिस्थिति में अध्ययनरत विद्यार्थी मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं तथा आभिभावक एवं समाज की अपेक्षा को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। देश में कई शिक्षण संस्थानों की स्थिति इसी तरह की है जैसे इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, कटक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, गुजरात, डॉ. हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर तथा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के छात्र भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति से छात्र पशोपेश में हैं एवं उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उपरोक्त सभी संस्थानों में चल रहे पाठ्याक्रमों को मान्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से दी जाये ताकि छात्रों

का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

(अनुवाद)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अनंतकुमार) : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि पिछले दो हफ्तों से सदस्य अनुरोध कर रहे हैं कि मुद्रा के विमुद्रीकरण पर बहस होनी चाहिए... (*व्यवधान*) भ्रष्टाचार के विरुद्ध धर्मयुद्ध; काले धन के विरुद्ध धर्मयुद्ध और प्रत्येक वस्तु के विरूद्ध धर्मयुद्ध और इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियम 193 के अधीन वाद-विवाद आरम्भ करने का अनुरोध करता हूँ ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया बैठ जाइए। जैसा कि माननीय मंत्री ने अनुरोध किया है, अब वाद-विवाद आरम्भ किया जाना चाहिए।

श्री अनंतकुमार : महोदय, मैं आपसे वाद -विवाद आरम्भ करने का अनुरोध करता हूँ ... (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.02 बजे

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

काले धन को समाप्त करने के लिए करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण

माननीय सभापति: श्री भर्तृहरि महताब - उपस्थित नहीं

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : सभापति महोदय, देश में कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा स्वागत योग्य है... (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय, श्री के. सी. वेणुगोपाल, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : महोदय, तेलंगाना राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने सोमवार को केंद्र द्वारा लागू की गई विमुद्रीकरण नीति का पूर्ण समर्थन किया है तथा इसे अपना पूर्ण समर्थन दिया है ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

... (व्यवधान)[7]*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: तथापि , उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अपील की है कि वे गैर-कानूनी अर्थव्यवस्था की बुराई को पूरी तरह से तथा सभी रूपों में समाप्त करने की दिशा में कार्य करें। ... (*व्यवधान*) उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से आम लोगों और विशेषकर अनौपचारिक,

असंगठित और कृषि क्षेत्र के लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कदम उठाने तथा आम आदमी को विमुद्रीकरण और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ छूट प्रदान करने का अनुरोध किया। (*व्यवधान*)

श्री अनंतकुमार : महोदय, जिस तरह से वे मेरे प्रिय मित्र के भाषण में बाधा डाल रहे हैं, वह बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है।... (*व्यवधान*)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदय, कृपया सदन में व्यवस्था करें । इसके बाद ही चर्चा शुरू हो सकेगी... (*व्यवधान*) महोदय, मैं आपसे सदन में व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: सभा मंगलवार, 6 दिसम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 दिसंबर, 2016 / 15 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित